वित्तीय विवरण 2019–20

- तुलन–पत्र
- लाभ एवं हानि का विवरण
- नगदी प्रवाह विवरण
- लेखा संबंधी टिप्पणियां
- वित्तीय विवरणों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अभ्युक्तियां

31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन–पत्र

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	
परिसंपत्तियां							
गैर–चालू परिसंपत्तियां							
(क) परिसंपत्ति, प्लांट एवं पुर्जे	2		6,59,199		6,83,014		7,32,756
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	3		4,98,980		4,54,434		3,95,640
(ग) अन्य अमूर्त परिसंपत्तिया	2		20		85		33
(घ) परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार	2		38,071				
(ड) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	3		0		0		33
(च) वित्तीय परिसंपत्तियां							
(i) ऋण	4	3,889		4,079		4,483	
(ii) अग्रिम	5	1	3,890	0	4,079	0	4,483
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	6		93,971		89,104		82,532
(ज) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तिया	7		2,455		6,785		0
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	8		1,58,289		1,20,942		71,547
चालू परिसंपत्तियां							
(क) माल सूची	9		3,242		3,060		3,000
(ख) वित्तीय परिसंपत्तिया							
(i) प्राप्य व्यापार	10	1,86,894		1,58,373		76,118	
(ii) नकदी तथा नकदी समकक्ष	11	2,520		4,577		6,102	
(iii) उपरोक्त (ii) के अलावा अन्य बैंक शेष	12	58		676		37	
(iv) ऋण	13	836		979		1,042	
(v) अग्रिम	14	50,099		4,313		3,536	
(vi) अन्य	15	25,706	2,66,113	11,755	1,80,673	54,608	1,41,443
(ग) चालू कर परिसंपत्तिया (निवल)	16		6,037		2,264		9,047
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17		5,973		4,562		6,162
नियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष	18		18,622		8,781		0
जोड़			**17,54,862**		**15,57,783**		**14,46,676**
इक्विटी एवं देयताएं							
इक्विटी							
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	19	3,66,588		3,65,488		3,62,743	
(ख) अन्य इक्विटी	20	5,86,659	9,53,247	5,11,906	8,77,394	4,44,272	8,07,015
गैर चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारिया							
(i) ऋण	21	3,95,696		2,65,201		2,41,530	
(ii) गैर चालू वित्तीय देनदारियां	22	2,538	3,98,234	1,794	2,66,995	2,200	2,43,730
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	23		84,077		91,240		98,191
(ग) प्रावधान	24		34,353		39,483		35,087

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार	
चालू देनदारियां							
(क) वित्तीय देनदारियां							
(i) ऋण	25	1,11,506		1,21,840		64,663	
(ii) व्यापार देयताएं							
क. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम की कुल बकाया देयताएं		66		21		26	
ख. सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को छोड़कर क्रेडिटर की कुल बकाया देयताए		2,137		2,026		1,452	
(iii) अन्य	26	89,154	2,02,863	81,143	2,05,030	1,19,997	1,86,138
(ख) अन्य गैर चालू देनदारियां	27		7,546		3,857		4,429
(ग) प्रावधान	28		12,679		12,293		21,015
(घ) चालू कर देनदारियां निवल	29		0		4,494		0
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष	30		61,863		56,997		51,071
कुल			**17,54,862**		**15,57,783**		**14,46,676**
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1						
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां	40						
1 से 40 तक की टिप्पणियां लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।	41						

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन:08536589

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ
यूडीआईएन :- 20014335एएएएडीएम3666

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि का विवरण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
लगातार प्रचालनों से प्राप्त राजस्व	31		2,12,310		2,44,926
अन्य आय	32		28,226		39,409
सिंचाई घटक के कारण आस्थगित राजस्व		6,374		6,915	
घटाएं : सिंचाई घटक पर मूल्यह्रास	2	6,374	0	6,915	0
कुल राजस्व			**2,40,536**		**2,84,335**
व्यय					
कर्मचारी लाभ व्यय	33		36,030		41,183
वित्त लागत	34		24,034		19,954
मूल्यह्रास और परिशोधन	2		57,610		55,500
उत्पादन प्रशासन और अन्य व्यय	35		23,933		20,978
अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण, सीडब्ल्यूआईपी और स्टोर एवं स्पेयर हेतु प्रावधान	36		0		4,985
कुल व्यय			**1,41,607**		**1,42,600**
कर पूर्व लाभ और विनियामक आस्थगित खाता शेष			**98,929**		**1,41,735**
कर व्यय	**37**				
चालू कर					
आयकर			16,312		30,659
आस्थगित कर–परिसंपत्ति			(5,302)		(6,676)
I विनियामक आस्थगित खाता शेष से पूर्व अवधि के लिए लाभ			**87,919**		**1,17,752**
विनियामक आस्थगित खाता शेष आय (व्यय) निवल कर	38		4,106		1,239
I लगातार परिचालन से अवधि के लिए लाभ			**92,025**		**1,18,991**
II अन्य बृहत आय					
(i) मदें जो लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं की जाएंगी:					
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	39		(1,247)		(299)
परिभाषित हित लाभ योजनाओं पर आस्थगित कर हितलाभ योजनाएं– आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता			(435)		(104)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
अन्य बृहत् आय			(1,682)		(403)
कुल बृहत् आय (I+II)			90,343		1,18,588
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन सहित)					
बेसिक (₹)			251.22		326.35
तनुकृत (₹)			251.14		326.32
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (विनियामक आस्थगित खाते में निवल संचलन रहित)					
बेसिक (₹)			240.01		322.96
तनुकृत (₹)			239.94		322.93
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन पर प्रकटन, जोखिम प्रबंधन	40				
लेखाओं की अन्य स्पष्टीकारक टिप्पणियां,1 से 40 तक की टिप्पणी इन लेखाओं का अभिन्न अंग हैं।	41				

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहरा)**	**(डी.वी. सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त) / सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
क. प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
कराधान से पूर्व लाभ		98,929		1,41,735
समायोजनः–				
मूल्यह्रास	57,610		55,500	
मूल्यह्रास – सिंचाई घटक	6,374		6,915	
प्रावधान	-		4,985	
वित्तीय लागत	24,034		19,954	
अन्य बृहत आय (ओसीआई)	(1,247)		(299)	
एसओसीआईई के जरिए पूर्वावधि समायोजन	-		-	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	(4,106)		(1,239)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर	(869)		(1,616)	
आपवादिक मदें	-	81,796	-	84,200
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**1,80,725**		**2,25,935**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–				
माल सूची	(182)		(121)	
प्राप्य व्यापार (अनबिल्ड राजस्व सहित)	(42,472)		(39,402)	
अन्य परिसंपत्तियां	(47,159)		948	
ऋण और अग्रिम (चालू + गैर चालू)	890		(4,459)	
व्यापार देय और देनदारियां	(4,697)		5,126	
प्रावधान (वर्तमान + गैर चालू)	(4,744)		(4,326)	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन	4,106	(94,258)	1,239	(40,995)
कर पूर्व प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		**86,467**		**1,84,940**
कारपोरेट कर		(16,312)		(30,659)
प्रचालनों से निवल नगदी (क)		**70,155**		**1,54,281**

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कटौती के है)

विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ख. निवेश गतिविधियों से नगदी प्रवाह				
निम्नलिखित में परिवर्तन :-				
संपत्ति, संयंत्र, उपस्कर और सीडब्ल्यूआईपी	(1,22,721)		(71,486)	
पूँजी अग्रिम	(37,386)		(49,520)	
निवेश गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह (ख)		**(1,60,107)**		**(1,21,006)**
ग. वित्तीय गतिविधियों के नगदी प्रवाह				
शेयर पूंजी (लंबित आबंटन सहित)	700		2,800	
उधारियां	1,34,547		(23,175)	
पट्टा संबंधी दायित्व	1,588		-	
ब्याज और वित्तीय प्रभार	(24,034)		(19,954)	
लाभांश तथा कर पर लाभांश	(15,190)		(51,009)	
वित पोषण गतिविधियों से निवल नगदी प्रवाह(ग)		**97,611**		**(91,338)**
घ. वर्ष के दौरान निवल नकदी प्रवाह (क+ख+ग)		**7,659**		**(58,063)**
ड. आरंभिक नकदी तथा नकदी समकक्ष		**(1,16,587)**		**(58,524)**
च. समापन नगदी तथा नगदी समकक्ष (घ + ड.)		**(1,08,928)**		**(1,16,587)**

टिप्पणी:

1. नगदी और नगदी समकक्ष राशियों में 58 लाख रु. (गत वर्ष में 676 लाख रु.) का बैंक शेष शामिल है जो निगम द्वारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं है।
2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनः समूहबद्ध /पुनः दर्शित किया गया है।
3. नकदी और नकदी समकक्ष को नोट सं. 41.20 (क) में समाधान कर दिया गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहरा)**	**(डी.वी. सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,65,488
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		1,100
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,66,588**

ख. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

			1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/हानि)	कुल
अथ शेष (I)		**400**	**5,07,118**	**4,500**	**(112)**	**5,11,906**
वर्ष के लिए लाभ			92,025			92,025
अन्य बृहत् आय					(1,682)	(1,682)
कुल बृहत् आय			**92,025**		**(1,682)**	**90,343**
लाभांश			12,600			12,600
लाभांश पर कर			2,590			2,590
प्रतिधारित आय में स्थानान्तरण (II)			**76,835**			**75,153**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित समायोजन (III)			600			600
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (V)				(600)		(600)
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/आबंटित (VI)		700				700
वर्ष के दौरान शेयर पूंजी लंबित (आवंटन) (VII)		(1,100)				(1,100)
अंतशेष (I+II+III+IV+V+VI+VII)		**0**	**5,84,553**	**3,900**	**(1,794)**	**5,86,659**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन:08536589

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार
		राशि
रिपोर्टिंग अवधि के शुरू में शेष		3,62,743
अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन		2,745
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंत शेष		**3,65,488**

ख. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

			1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक आरक्षित एवं अधिशेष		अन्य बृहत् आय	
विवरण	नोट सं.	शेयर आवेदन राशि लंबित आबंटन	प्रतिधारित आय	डिबेंचर मोचन आरक्षित एवं अन्य	बीमांकिक लाभ/हानि)	कुल
अथ शेष (I)		**345**	**4,40,636**	**3,000**	**291**	**4,44,272**
वर्ष के लिए लाभ			1,18,991			1,18,991
अन्य बृहत् आय					(403)	(403)
कुल बृहत् आय			**1,18,991**		**(403)**	**1,18,588**
लाभांश			42,312			42,312
लाभांश पर कर			8,697			8,697
प्रतिधारित आय को स्थानान्तरण (II)			**67,982**			**67,579**
डिबेंचर मोचन आरक्षित को स्थानान्तरित समायोजन (III)			(1,500)			(1,500)
वर्ष के दौरान डिबेंचर मोचन आरक्षित वृद्धि/(उपयोग) (IV)				1,500		1,500
वर्ष के दौरान लंबित शेयर पूँजी आबंटन जमा/आबंटित (V)		55				55
अंतशेष (I+II+III+IV+V)		**400**	**507,118**	**4,500**	**(112)**	**5,11,906**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)
कंपनी सचिव
सदस्यता सं. 26692

(जे. बेहरा)
निदेशक (वित्त)/सीएफओ
डीआईएन:08536589

(डी.वी. सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई का एफआरएन 001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
सदस्यता सं. 014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

टिपण्णी संख्या–1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 2019–20

1. सामान्य

1.1 टीएचडीसी लिमिटेड (कंपनी) भारत में स्थित और शेयरों द्वारा सीमित (सीआईएन:यू45203यूआर1988जीओआई009822) कंपनी है और एनटीपीसी की सहायक कंपनी है। कंपनी के शेयर एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा (74.496 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा (25.504 प्रतिशत) धारित हैं। कंपनी के बांड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड के साथ सूचीबद्ध हैं। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता है: भागीरथी भवन (टाप टेरेस) भागीरथीपुरम, टिहरी, टिहरी गढ़वाल–249001 (उत्तराखंड)। कंपनी प्राथमिक तौर पर विद्युत के उत्पादन और राज्य सरकारों की जनोपयोगी संस्थाओं को बिजली की थोक बिक्री में संलग्न है। अन्य व्यापार में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

1.2 ये वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रावधानों (जिस सीमा तक अधिसूचित और लागू हैं) और लागू सीमा तक विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा 24.06.2020 को जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

1.3 इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रूपये(आईएनआर) में प्रस्तुत किया जाता है जो कंपनी की प्रयोजनमूलक मुद्रा है। आईएनआर में प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं लाख के निकटतम पूर्णांक में दी गई है सिवाय इस स्थिति के जब अन्यथा कहा गया हो।

2. अनुमान एवं पूर्वानुमान

2.1 विवरणों को तैयार करने में अनुमानों और उन पूर्वानुमानों की जरूरत पड़ती है जो रिपोर्ट की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। यद्यपि इस तरह के अनुमान और पूर्वानुमान युक्तिसंगत और विश्वसनीय आधार पर तैयार किए जाते हैं और ऐसा करते हुए सभी उपलब्ध सूचनाओं, वास्तविक परिणामों को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं और इस अंतर को उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें वास्तविक परिणाम मूर्त रूप होकर दिखाई देते हैं।

3. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

3.1 31 मार्च, 2015 तक की संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) को भारतीय जीएएपी के अनुसार तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। भारतीय लेखाकरण मानक 101 द्वारा स्वीकृत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 01 अप्रैल, 2015 को) उचित मूल्यों के लिए इन राशियों को मानित लागत माना गया, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) में निर्धारित है।

3.2 पीपीई को प्रारंभिक रूप से अधिग्रहण/निर्माण लागत से आंका जाता है। इसमें यथा–अपेक्षित डी–कमीशनिंग/जीर्णोद्धार लागत भी शामिल होती है। परिसंपत्तियाँ और प्रणालियाँ, एक से अधिक उत्पादक इकाई में काम आने वाली, इंजीनियरिंग अनुमानों/निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत की जाती है। लागत में परिसंपत्ति के अधिग्रहण/निर्माण में सीधे निवेशित राशि भी शामिल है। जिन मामलों में ठेकेदारों के अंतिम बिलों का निपटान लंबित हो, लेकिन परिसंपत्ति पूर्ण हो गई हो तथा उपयोग के लिए तैयार है, पूंजीकरण

अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अध्यधीन अनंतिम आधार पर किया जाता है।

3.3 संयंत्र और मशीनरी के साथ अथवा तदन्तर खरीदे गए अतिरिक्त पुर्जे जो मानक को पूर्ण करते हैं, उनका पूंजीकरण किया जाता है। इन अतिरिक्त पुर्जों की राशि प्रतिस्थापित की जाती है, को अमान्य किया जाता है, जब भविष्य में इनसे आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं हो अथवा इनका निपटान किया जाना है। मालसूची में मशीनों के अन्य अतिरिक्त पुर्जों की खपत होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.4 उत्पादन इकाई के प्रमुख निरीक्षण और मरम्मत (ओवरहाल) पर हुए व्यय को पूंजीकृत किया जाता है जब यह परिसंपत्ति मान्यता मानदंड को पूरा करता है। पूर्व निरीक्षण या ओवरहाल की लागत की शेष उठाव राशि को अमान्य कर दिया जाता है।

यदि प्रतिस्थापित पुर्जे अथवा पूर्व वृद्द निरीक्षण की लागत उपलब्ध नहीं है, तब विद्यमान पुर्जे/निरीक्षण की लागत जिस समय उन्हें खरीदा गया अथवा निरीक्षण किया गया, को समान नए पुर्जे/वृद्द निरीक्षण की अनुमानित लागत की गणना करने हेतु सूचक मानना चाहिए।

3.5 संपत्ति, संयंत्र अथवा उपस्कर की कोई मद निपटान अथवा भविष्य में उसके प्रयोग से आर्थिक लाभ अनपेक्षित अथवा निपटान की दशा में अमान्य कर दिया जाता है। परिसंपत्ति के अमान्य करने से होने वाले लाभ या हानि (निपटान किए गए निवल आगम और परिसंपत्ति की वाहक राशि के बीच अंतर के रूप में परिकलित) को उस वर्ष के हानि–लाभ विवरण में शामिल किया जाता है जिस वर्ष अमान्य किया गया।

3.6 भूमि जिस पर पीपीई सृजित है, यदि कंपनी की नहीं है, परन्तु कंपनी के नियंत्रण एवं अधिकार में हैं, पीपीई में शामिल की जाती है।

3.7 विशेष भू–अर्जन अधिकारी(एसएलएओ) द्वारा पट्टे के माध्यम से अधिग्रहीत भूमि के संबंध में वे भू भाग पूंजीकृत किए जाते हैं, जो कंपनी के भवन निर्माण तथा बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं/प्रयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। जलमग्न भूमि सहित अन्य भूमि को उनके प्रयोग के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

ऐसी भूमि की लागत, जिसे एसएलएओ के माध्यम से अधिग्रहीत किया गया हो, को एसएलएओ द्वारा या सीधे कंपनी द्वारा प्रदान की गयी क्षतिपूर्ति के आधार पर पूंजीकृत किया जाता है।

क्षतिपूर्ति, बेदखलों के पुनर्वास तथा कब्जे की भूमि से संबंधित अन्य व्यय के भुगतान/दायित्व को अनंतिम रूप से भूमि की लागत माना जाता है।

4. चल रहे पूंजीगत कार्य

4.1 निर्माणाधीन परिसंपत्तियां (परियोजना सहित) पर व्यय राशि, चल रहे पूंजीगत कार्य के अंतर्गत शामिल की जाती है। इस लागत में परिसंपत्तियों का क्रय मूल्य, आयात शुल्क, अप्रतिदेय कर (व्यावसायिक छूट तथा बट्टा घटाकर) तथा सीधे स्थल तक परिसंपत्ति को पहुंचाने की लागत तथा प्रबंधन के आशय के अनुरूप इसके प्रचालन हेतु आवश्यक शर्तें भी इसमें शामिल हैं।

4.2 पट्टा राशि एवं पट्टायुक्त भूमि पर किराया तथा डूब एवं अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि और संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति (जैसे विस्थापितों के पुनर्वास, नई टाउनशिप के निर्माण, वन्यकरण पर लगाई गई राशि तथा पुनर्वास कालोनियों के स्थानीय प्राधिकरणों आदि द्वारा अधिग्रहण किए जाने तक उनके रख–रखाव और अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च) तथा जहां ऐसी वैकल्पिक सुविधाओं का निर्माण परियोजनाओं में इस्तेमाल के लिए भू–अधिग्रहण हेतु विशिष्टपूर्ण शर्त हो, पर लगी लागत को पुनर्वास के चालू पंजीगत कार्य में अग्रेनीत किया जाता है। कथित परिसंपत्ति पूंजीकृत है क्योंकि भूमि व्यावसायिक प्रचालन तिथि को डूब के अंतर्गत है।

4.3 निक्षेप निर्माण कार्य को संबंधित अभिकरणों से प्राप्त लेखा विवरणों के आधार पर गणना में लिया जाता है।

4.4 आपूर्ति और उत्थापन के ठेकों के संबंध में कार्यस्थल पर प्राप्त आपूर्ति के मूल्य को चालू पूंजीगत कार्य माना जाता है।

4.5 ठेकों के मामले में मूल्य–अंतर के लिए दावों को स्वीकार किए जाने पर उन्हें हिसाब में शामिल किया जाता है।

4.6 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सीधे निवेशित लागत में कर्मचारी हित लाभ, परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण गतिविधियों से संबंधित व्यय, परियोजना स्थल की तैयारियों की लागत, प्रारंभिक सुपुर्दगी और सार–संभाल प्रभार, इंस्टालेशन एवं असेम्बली लागत, वृत्तिक शुल्क, परियोजना निर्माण में प्रयुक्त परिसंपत्ति में मूल्यह्रास तथा अन्य लागतें आती हैं। ऐसी लागतें चल रहीं निर्माण परियोजनाएं/ पूंजीगत कार्य हेतु व्यवस्थित आधार पर आबंटित की जाती है।

5. कोयला खानों के विकास पर व्यय

5.1 प्रमाणित रिजर्व का निर्धारण हो जाने और खानों/ परियोजना के विकास को मंजूरी मिल जाने पर खोज और मूल्यांकन परिसंपत्तियां चल रहे पूंजीकार्य के अंतर्गत कोयला खानों के विकास को हस्तांतरित कर दी जाती है।

6. अमूर्त परिसंपत्तियां

6.1 भारतीय जीएएपी के अनुसार 31 मार्च, 2015 तक अमूर्त परिसम्पत्तियों को तुलन–पत्र में दर्शाया जाता रहा। भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) 101 के अंतर्गत छूट का लाभ लेने के लिए कंपनी का चयन किया गया। पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) को स्वीकार करने की संक्रमण तिथि (अर्थात 1 अप्रैल, 2015) को इन राशियों को मानक लागत माना गया।

6.2 अलग से अधिग्रहित अर्मूत परिसंपत्तियों के लागत में प्रारंभिक रूप से मापा जाता है। प्रारंभिक रूप से मान्य किए जाने के बाद अमूर्त परिसंपत्तियों की लागत शोधन संचय तथा संचयी अपसामान्य हानि को घटा कर नियत की जाती है।

6.3 आंतरिक उपयोग हेतु खरीदे गए साफ्टवेयर (जो संगत हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है) की लागत में शोधन संचय तथा अनर्जक हानियां, यदि कोई हों, शामिल नहीं है।

6.4 अमूर्त परिसंपत्ति की कोई मद उसके निपटान अथवा जब भविष्य में उसके उपयोग से कोई आर्थिक लाभ अनपेक्षित हो अथवा निपटान से अमान्य किया जाता है, किसी अमूर्त परिसंपत्ति को अमान्य करने से होने वाले लाभ अथवा हानि को उस वर्ष के लाभ–हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में परिसंपत्ति को अमान्य किया गया है।

7. विदेशी मुद्रा लेन–देन

7.1 कंपनी का भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) से छूट का लाभ लेने के लिए चयन किया गया। दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयता अंतरण से होने वाले विनिमय अंतर की गणना संबंधी नीति को जारी रखने के लिए पहली बार भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) अपनाया गया। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतरों को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुए हैं परंतु इस अपवाद के साथ कि 31 मार्च, 2016 तक अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपस्कर से जुड़ी दीर्घकालिक मदों पर विनिमय दर के पीपीई की रखाव लागत के साथ समायोजित किया जाता है।

7.2 विदेशी मुद्रा में संव्यवहार प्रारंभिक रूप से संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है। तुलन–पत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें अंतिम तिथि को अभिलिखित होती है। अमौद्रिक मदों को संव्यवहार की तिथि को विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा डिनोमिनेट (हटाया) किया जाता है।

8. उचित मूल्य माप

8.1 उचित मूल्य वह कीमत है जो निर्धारित तिथि को किसी परिसंपत्ति को बेचने पर अथवा उसके दायित्व को व्यवस्थित लेन–देन द्वारा बाजार के भागीदारों को अंतरित करने पर भुगतान के रूप में प्राप्त होगी। सामान्यतया प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य लेन–देन मूल्य है।

8.2 तथापि, जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि संव्यवहार मूल्य उचित कीमत नहीं है, वह अन्य बातों के साथ–साथ मूल्यांकन तकनीक, जो उन

स्थितियों में समुचित है तथा उचित कीमत के माप हेतु संगत अवलोकनीय आकड़ों के अधिकतम उपयोग तथा गैर अवलोकनीय आगतों के न्यूनतम उपयोग के समुचित आंकडें उपलब्ध हैं, का प्रयोग करती हैं।

8.3 सभी वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देनदारियां जिनके लिए उचित कीमत मापी जा रही है अथवा वित्तीय विवरणों में दर्शाया गया है, उन्हें उचित कीमत क्रम में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण न्यूनतम सार आगत पर आधारित है जो समग्र रूप से उचित कीमत मापन हेतु महत्वपूर्ण है।

स्तर– 1– एक जैसी परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में तयशुदा (असमायोजित) बाजार मूल्य।

स्तर– 2– मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ध्यान देने योग्य है।

स्तर–3– मूल्यांकन तकनीक जिनके लिए न्यूनतम स्तर इनपुट जो निष्पक्ष मूल्य मापन के लिए विशिष्ट है, ध्यान देने योग्य नहीं है।

8.4 वित्तीय परिसंपत्तियां तथा वित्तीय देनदारियों को, आवर्ती आधार पर, उचित कीमत पर मान्य किया जाता है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित कीमत संबंधी तकनीक की समीक्षा करती है जिसे प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अंगीकार किया जाता है और उचित कीमत का निर्धारण किया जाता है। तदनुसार उपरोक्त निर्धारित स्तरों में से किसी एक उपयुक्त स्तर को लागू किया जाता है।

9. संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से भिन्न वित्तीय परिसंपत्तियां

9.1 वित्तीय परिसंपत्ति में नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्ति हेतु संविदागत दायित्व अथवा कंपनी के लिए अनुकूल स्थितियों में वित्तीय देनदारियों अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का विनिमय शामिल है। वित्तीय परिसंपत्ति को उन परिस्थितियों में मान्य किया जाता है, जब किसी लिखत (इंस्ट्रूमेंट) के संविदागत प्रावधानों में कंपनी को पक्षकार बनाया जाता है।

9.2 कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद, नकदी समतुल्य, बैंक राशि, कर्मचारियों को अग्रिम, प्रतिभूति जमा, वसूली योग्य दावे आदि शामिल हैं।

9.3 कंपनी के विद्यमान बिजनेस मॉडल के अनुसार तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदागत नकदी प्रवाह वर्गीकरण की विशिष्टताएं इस प्रकार हैं–

1) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
2) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां
3) लाभ–हानि के माध्यम से उचित कीमत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

9.4 **प्रारंभिक पहचान और मापः** सभी वित्तीय परिसंपत्तियां सिवाए व्यापारिक प्राप्तियां प्रारंभिक रूप से उचित कीमत पर मान्य की जाती हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली संव्यवहार लागत भी शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की संव्यवहार लागत, लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित कीमत पर लाभ अथवा हानि विवरण में दर्शाया जाता है। जहां संव्यवहार कीमत को उचित कीमत में नहीं मापा जा सकता और उचित कीमत निर्धारण के लिए मूल्यांकन विधि इस्तेमाल की जाती है जिसमें बाजार के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है, संव्यवहार कीमत तथा उचित कीमत में अंतर को लाभ या हानि विवरण से पहचाना जाता है तथा अन्य मामलों में वित्तीय लिखत को ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) विधि से पहचाना जाता है। आलोच्य अवधि के अंत में ईआईआर (प्रभावी ब्याज दर) की गणना की जाती है।

9.5 कंपनी व्यापारिक प्राप्तियों को उनके संव्यवहार कीमत से मापती है क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण वित्तीय घटक नहीं होते हैं।

9.6 **तदन्तर मापः** प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर वर्गीकृत किया जाता है जिसे तदन्तर ईआईआर पद्धति से परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना हेतु परिशोधन पर किसी छूट अथवा प्रीमियम को गणना में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत, ईआईआर का अभिन्न अंग

होते हैं। ईआईआर परिशोधन को वित्तीय आय की लाभ अथवा हानि में शामिल किया जाता है।

9.7 **अमान्य–पहचान (डी रिकागनिशन)** – किसी वित्तीय परिसंपत्ति को उस समय अमान्य किया जाता है जब कथित वित्तीय परिसंपत्ति से संबद्ध नकदी प्रवाह की वसूली हो जाती है अथवा उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

10. नकदी और नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में दर्शाए गए नकदी और नकदी समतुल्य में शामिल होते हैं– बैंकों में नकदी, पास में नकदी और तीन माह या इससे कम अवधि में परिपक्व होने वाली अल्पकालिक मियादी जमा जो मूल्य में गैर–महत्वपूर्ण परिवर्तन जोखिम के अधीन होती है।

11. माल–सूची

11.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अनुरक्षण में प्रयुक्त अतिरिक्त पुर्जे तथा भंडार मुख्यतया माल सूची में शामिल होते हैं और इनका मूल्यांकन लागत अथवा निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो, पर किया जाता है। भारित औसत लागत फार्मूला इस्तेमाल करके लागत निश्चित की जाती है और सामान्य व्यापार क्रम में एनआरवी अनुमानित विक्रय मूल्य है। बिक्री के लिए जरूरी विक्रय लागत इसमें से कम कर दी जाती है।

11.2 माल सूची की रखाव राशि का निर्धारण प्रत्येक रिपोर्ट तिथि के एनआरवी (निवल प्राप्य मूल्य) पर प्रतिकलित होती है। रखाव राशि में कमी होने पर एनआरवी पर मान्यता हेतु माल–सूची की रखाव राशि में कमी करके समुचित समायोजन किया जाता है। इस प्रकार घटायी गई राशि को लाभ–हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है। माल सूची मूल्य में कमी के फलस्वरूप एनआरवी में वृद्धि (मूल लागत तक) होने पर, माल सूची मूल्य वृद्धि को एनआरवी पर मान्य करने तथा बढ़ी हुई राशि को लाभ–हानि विवरण में आय के रूप में मान्य किया जाता है। लाभ–हानि विवरण में व्यापार के दौरान सामान्य रूप से होने वाली माल सूची हानि को लाभ हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

12. वित्तीय देनदारियां

12.1 कंपनी की वित्तीय देनदारियां अन्य कंपनी को नकदी अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की सुपुर्दगी अथवा कंपनी के लिए प्रतिकूल स्थितियों में अन्य कंपनी के साथ वित्तीय संपत्तियों का विनिमय अथवा वित्तीय देनदारियां संविदागत दायित्व है।

12.2 कंपनी की वित्तीय देनदारियों में ऋण एवं उधार, व्यापारिक एवं अन्य देय भी शामिल हैं।

12.3 वर्गीकरण, प्रारंभिक पहचान एवं माप

12.3.1 वित्तीय देनदारियां प्रारंभिक रूप में उचित कीमत पर मान्य होती हैं। इसमें से वित्तीय देनदारियों से सीधे संबंधित संव्यवहार लागत तथा तदन्तर मापी गई परिशोधित लागत घटाई जाती है। प्राप्तियों निवल (संव्यवहार लागत) तथा प्रारंभिक स्तर पर उचित कीमत के अंतर, यदि कोई हो, को लाभ–हानि अथवा 'निर्माण से संबंधित व्यय' विवरण में दर्शाया जाता है, यदि अन्य मानक उधार की अवधि में किसी परिसंपत्ति की रखाव राशि को ब्याज की प्रभावी दर को प्रयोग करते हुए ऐसी लागत को शामिल करने की अनुमति दें।

12.3.2 उधार को चालू देनदारियों के रूप में तब तक वर्गीकृत किया जाता है जब तक कंपनी के पास रिपोर्ट–अवधि के बाद कम से कम 12 महीनों के लिए देनदारियों के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार है।

12.4 उत्तरवर्ती माप

12.4.1 प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देनदारियां तदन्तर परिशोधित लागत के रूप में ईआईआर विधि से मापी जाती है। देनदारियों को अमान्य करने के साथ–साथ ईआईआर रखाव प्रक्रिया के माध्यम से लाभ और हानि को लाभ अथवा हानि के विवरण के रूप में मान्य किया जाता है।

12.4.2 परिशोधित लागत को अधिग्रहण पर किसी छूट अथवा प्रीमियम की गणना करते हुए हिसाब में लिया जाता है तथा शुल्क अथवा लागत ईआईआर के अभिन्न भाग हैं। लाभ और हानि विवरण में ईआईआर रखाव को वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

12.5 अमान्य करना: किसी वित्तीय देनदारी को उस समय अमान्य किया जाता है जबकि देनदारी का दायित्व उन्मोचित अथवा निरस्त अथवा समाप्त हो गया है।

13. सरकारी अनुदान

13.1 केंद्र/राज्य सरकारों/अन्य प्राधिकारियों से पूंजी व्यय के संदर्भ में प्राप्त सहायता अनुदान को प्रारंभिक रूप से गैर चालू देयता के तहत गैर–प्रचालन आस्थगित आय माना जाता है और तदन्तर उसी अनुपात में आय माना जाता है जिसमें अधिग्रहीत परिसंपत्तियों के ऐसे अंशदान/सहायता अनुदान के मूल्यह्रास को बट्टे खाते डाला जाता है।

14. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां तथा आकस्मिक परिसंपत्तियां

14.1 प्रावधानों को मान्यता दी जाती है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वैध अथवा प्रलक्षित दायित्व हो और यह संभव हो कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के वाह्य प्रवाह के दायित्व का निर्धारण किया जाए तथा दायित्व राशि का विश्वसनीय अनुमान लगाया जाए। ये प्रावधान तुलन– पत्र की तिथि से अपेक्षित व्यवस्थापन राशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

14.2 आकस्मिक देनदारियां प्रबंधन/निष्पक्ष विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर प्रकट की जाती है। प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है तथा प्रबंधन द्वारा वर्तमान अनुमानों को प्रयुक्त कर तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में इन्हें प्रदर्शित किया जाता है।

14.3 आकस्मिक परिसंपत्तियों को, जब आर्थिक लाभ संभावित हो, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

15. राजस्व अभिज्ञान तथा अन्य आय

15.1 इंड एएस 115 के अंतर्गत राजस्व को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब संस्था किसी ग्राहक को वादा की गयी वस्तुएं और सेवाएं हंस्तारित कर निष्पादन दायित्व को पूरा करती है। कोई परिसंपत्ति तब हंस्तारित की जाती है जब नियंत्रण हंस्तारित किया जाता है। यह या तो समय पर होता है या समय के बाद कंपनी उन राशियों के सम्बन्ध में राजस्व को मान्यता देती है जिसके समबन्ध में इस इनवायस का अधिकार होता है।

15.2 केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित अंतिम दरों पर ऊर्जा विक्रय का लेखा रखा जाता है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में, जहां अंतिम दर अधिसूचित नहीं है, उपयुक्त प्राधिकारी अर्थात सीईआरसी द्वारा लागू विनियमों में वर्णित विधि और मानकों के आधार पर राजस्व का अभिज्ञान किया जाता है। सीईआरसी द्वारा 'वार्षिक नियत प्रभार' की अधिसूचना लंबित रहने तक राजस्व अभिज्ञान स्वतंत्र रहेगा।

विदेशी मुद्रा ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा विचलन की वसूली/वापसी की वर्षानुवर्ष आधार पर गणना की जाती है।

15.3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पादित बिजली की बिक्री से प्राप्त राशि को भारतीय लेखाकरण मानक 115 के अनुसरण में प्रचालन से प्राप्त राजस्व रूप में मान्यता दी गई और इन परिसंपत्तियों को भारतीय लेखाकरण मानक 16 के अनुसार कंपनी के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां माना गया है।

15.4 क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए) को अंतिम रूप दिए जाने से उत्पन्न समायोजन जो महत्वपूर्ण नहीं हो, संबंधित वर्ष में प्रस्तुत किए जाते हैं।

15.5 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग अथवा हितधारकों के अनुबंध द्वारा अनुमोदित/अधिसूचित लागू मानकों के आधार पर प्रोत्साहन/गैर–प्रोत्साहन की गणना की जाती है। विद्युत केंद्र के प्रकरण में जहां ये हितग्राहियों के साथ अधिसूचित/अनुमोदित/सहमत नहीं हैं, प्रोत्साहन/ गैर –प्रोत्साहन अनंतिम आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

15.6 मूल्यह्रास के संबंध में अग्रिम को 31 मार्च 2009 तक आस्थगित आय माना जाता रहा। इसे परियोजना प्रचालन की तिथि के 12 वर्ष पूर्ण होने के बाद शेष 28 वर्षीय अवधि हेतु सीधी रेखा आधार पर बिक्री माना गया। परियोजना का उपयोगी कार्यकाल 40 वर्ष माना गया।

15.7 परामर्शी कार्य से आय को वास्तविक प्रगति/कृत कार्य तकनीकी मूल्यांकन अथवा संबंधित परामर्शी

संविदा की शर्तों के अनुरूप लागत प्रतिपूर्ति आधार पर हिसाब में लिया गया।

15.8 व्यापार प्राप्य से ऊर्जा बिक्री/परिनिर्धारित क्षति/वारंटी दावों से संबंधित वसूली योग्य विलंब शुल्क अधिभारों को उस स्थिति में मान्य स्वीकार किया जाता है जब मापन या सामूहिकता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता न हो।

15.9 संविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम से अर्जित ब्याज को चल रहे संगत पूंजीगत कार्य लेखा में जमा कर संबंधित परिसंपत्ति की निर्माण लागत से घटाया जाता है।

15.10 अवशिष्ट (स्क्रेप) मूल्य को बिक्री के समय लेखे में लिया जाता है।

15.11 लाभ की हानि होने से संबंधित बीमा दावे स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिए जाते है। अन्य 'बीमा दावों' को उनकी वसूली की निश्चितता पर हिसाब में लिया जाता है।

16. व्यय

16.1 प्रत्येक मामले में 5,00,000/– रुपये या उससे कम की मदों के पहले किए गये खर्च अथवा पूर्व–अवधि खर्च/आय को स्वाभाविक लेखा शीर्षों में प्रभारित किया जाता है।

16.2 संदेहास्पद पूर्वावधि त्रुटियों में उस अवधि के लिए जिसमें वे उत्पन्न हुई है, तुलनात्मक खाते में अभिलिखित करते हुए पूर्वव्यापी सुधार किए जाते हैं। यदि त्रुटिया पूर्वावधि से पहले उत्पन्न हुई थीं तो परिसंपत्ति देयताओं और इक्विटी के अग्रेनीत अधिशेष, जो पूर्व में प्रस्तुत किए गए थे, उन्हें अभिलिखित किया जाता है।

16.3 वाणिज्यिक प्रचालन के शुरू होने से पहले प्राप्त निवल आय/व्यय को संबंधित परिसंपत्तियों एवं प्रणालियों की लागत में सीधे समायोजित किया जाता है।

16.4 व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित होने से पहले नई परियोजनाओं पर किए गए प्रारंभिक खर्च राजस्व को प्रभारित किए जाते हैं।

16.5 पूर्ववर्ती वर्ष के कर से पूर्व निवल लाभ का समुचित प्रतिशत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अलग रख दिया जाता है ताकि अनुसंधान एवं विकास के लिए अव्यपगत निधि सृजित की जा सके।

16.6 सीएसआर गतिविधियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार व्यय किया जाएगा। डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुसार व्यय न की गई कोई राशि अलग से अव्यपगत निधि में रखी जाएगी।

16.7 तीन वर्षों से अधिक समय के बकाया संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/दावों (सरकारी देय को छोड़कर) के लिए प्रावधान किया जाएगा, जब तक प्रबंधन के आंकलन अनुसार धनराशि को वसूली योग्य घोषित न किया जाए। तथापि, ऋणों/अग्रिमों/दावों को प्रत्येक प्रकरण के आधार पर बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा, जब वसूली करना अंततः असंभव हो जाए।

17. कर्मचारियों के हितलाभ

17.1 कंपनी ने भविष्य निधि के प्रशासन के लिए अलग से एक न्यास स्थापित किया है और कर्मचारी पेंशन हित लाभ के लिए इसे सेवानिवृत्ति अंशदान योजना कहते हैं। इस निधि में कंपनी के अंशदान को व्यय से प्रभारित किया जाता है। भविष्य निधि द्वारा किए गए निवेशों में ब्याज की कमी (यदि कोई हो) के बारे में कंपनी की देनदारी निर्धारित की जाती है और वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक रूप से प्रावधान किया जाता है।

17.2 कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभों एवं अवकाश नकदीकरण तथा सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ, छुट्टी यात्रा रियायत, बैगेज भत्ता, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्मृति चिह्न, दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को वित्तीय सहायता और अंतिम संस्कार पर होने वाले व्यय के लिए देनदारी, जैसा कि भारतीय लेखाकरण मानक(इंड एएस) –19 में परिभाषित किया गया है का हिसाब प्रोद्भूत आधार पर वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

17.3 बीमांकिक लाभ और हानियों के पुनर्मापन हेतु,

परिसंपत्ति की उच्चतम सीमा का प्रभाव निवल ब्याज सहित निवल परिभाषित लाभ देयता राशि को छोड़कर तथा योजना परिसंपत्तियों (निवल परिभाषित लाभ देयता पर निवल ब्याज सहित राशि को छोड़ कर) पर प्रतिलाभ को ओसीआई में उस अवधि के लिए जिसमें उद्भूत हुआ है, तत्काल मान्य किया जाता है। पुनर्मापन को बाद की अवधि में लाभ अथवा हानि के रूप में पुनः वर्गीकरण नहीं किया जाता।

18. ऋण लागत

18.1 विशिष्ट अर्ह परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/खोज/विकास या उत्थापन से सीधे जुड़ी ऋण लागत को उस तिथि तक, जब तक ऐसी परिसंपत्तियां इसके आशयित उपयोग के लिए तैयार हों, इन परिसंपत्तियों की लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्ह संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती हैं जो अपने आशायित उपयोग के लिए तैयार होने में अनिवार्य रूप से पर्याप्त समय लेती है।

18.2 जब कंपनी, विशेषकर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उपगत लागत को पंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी सामान्य तौर पर अर्ह परिसंपत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन से धन उधार लेती है तो उधारी लागतों के पूंजीकरण की गणना वर्ष के दौरान बकाया सभी उधारियों के भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है और इसका प्रयोग अर्ह परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण, खोज या उत्थापन के लिए किया जाता है। तथापि, विशेष रूप से अर्ह परिसंपप्ति प्राप्त करने के लिए ली गई उधारियों पर लागू उधारी लागत को इस गणना में शामिल नहीं किया जाता जब तक कि उस परिसंपत्ति को तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां इसके लिए आशयित प्रयोग और बिक्री की दृष्टि से पूर्ण न हो।

ऐसी उधारी लागतों का सम विभाजन वर्ष के दौरान चल रहे पूंजी कार्य के औसत शेष के आधार पर किया जाता है। अन्य उधारी लागतों को उस अवधि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसे अवधि में वे उपयुक्त हुई हो।

19. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

19.1 वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में वृद्धि/कमी पर मूल्यह्रास को यथानुपातिक आधार पर उस तिथि तक जिस तिथि तक परिसंपत्ति इस्तेमाल/निपटान के लिए उपलब्ध, प्रभारित किया जाता है।

19.2 मूल्यह्रास को टैरिफ निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार सीधी रेखा विधि पर प्रभारित किया जाता है। विनिमय दरों में घट–बढ़, न्यायालयों के फैसलों इत्यादि के कारण बढ़ी देनदारी के लिए परिसंपत्ति की लागत में वृद्धि/कमी के मामले में, परिसंपत्तियों के शेष उपयोगी जीवनकाल के लिए अग्रदर्शी रूप में संशोधित परिशोधित मूल्यह्रास योग्य राशि का प्रावधान किया जाता है।

19.3 कार्यालयीन कार्य हेतु लैपटाप योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को प्रदत्त लैपटाप को चार वर्ष की अवधि में शून्य निस्तारण संपत्ति मूल्य के साथ बट्टे खाते में डाला जा रहा है। इन मदों का सीधी रेखा विधि द्वारा 25% वार्षिक दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

19.4 अस्थायी उत्थापन पर अधिग्रहण/पूंजीकृत वर्ष में रू. 1/– रखकर पूर्ण मूल्यह्रास (100%) किया जाता है।

19.5 1500/– रुपये से अधिक लेकिन 5000/–रुपये तक की लागत वाली (अचल परिसंपत्तियों को छोड़कर) परिसंपत्तियों के संबंध में क्रय वर्ष में 100% मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है।

19.6 1500/– रुपये तक की कम लागत वाली सामाग्रियां, जो परिसंपत्ति के रूप में होती हैं, को पूंजीकृत नहीं किया जाता है और उन पर राजस्व वसूला जाता है।

19.7 प्रयोग का अधिकार जमीन की लागत लीज अवधि के दौरान परिशोधित की जाती है।

19.8 कम्प्यूटर साफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति माना गया है तथा प्रयोग के विधिक अधिकार की

अवधि या तीन वर्ष जो भी पहले हो, में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है।

19.9 संयंत्र और मशीनों के साथ अथवा बाद में खरीदे गए जिन अतिरिक्त पुर्जों को पूंजीकृत किया जाता है और इन्हीं मदों की राशि में शामिल किया जाता है। उनका सीईआरसी द्वारा अधिसूचित विधि एवं दर से संगत संयंत्र और मशीनों के शेष उपयोगी जीवनकाल हेतु मूल्यह्रास किया जाता है।

20. माल सूची के अतिरिक्त गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

20.1 जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत वसूली योग्य राशि से बढ़ जाती है तब परिसंपत्ति को क्षति माना जाता है। जिस वर्ष में परिसंपत्ति की क्षति चिन्हित की जाती है उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में क्षति हानि को प्रभार्य किया जाता है। वसूली योग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन होने पर लेखा–अवधि से पहले की क्षति हानि को उल्टा कर दिया जाता है।

21. पट्टे

21.1 कंपनी ने अप्रैल, 2019 से लागू इंड एएस "पट्टे" अंगीकार किया और संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर 01 अप्रैल, 2019 को मौजूद सभी पट्टा संविदाओं पर लागू किया। इसके परिणामस्वरुप कंपनी ने आरंभिक अनुप्रयोग की तारीख को लागू वृद्धिगत उधारी दर पर छूट प्राप्त शेष पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को रिकार्ड किया और पट्टा देयता के बराबर राशि पर परिसंपत्ति के प्रयोग को स्वीकार किया गया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष की उतरावस्था को समायोजित नहीं किया गया है और इसलिए इस इंड एएस को रिपोर्ट किया जाना जारी रहेगा। इंड एएस 17 के लेखांकन नीतियों के ब्यौरो का अलग से प्रकटन किया जाता है यदि वे इंड एएस 116 के अंतर्गत आने वाले नीतियों के ब्यौरे से भिन्न कंपनी, किसी संविदा के आरंभ में इस बात का आंकलन करती है कि क्या संविदा में पट्टा शामिल है। कोई संविदा उस स्थिति में पट्टा होती है या उसमें पट्टा शामिल होता है जब संविदा में प्रतिफल के एवज में निश्चित समय के लिए चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त किया जाए। कोई संविदा किसी चिन्हित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने के अधिकार को व्यक्त करती है या नही इस बात का आंकलन करने के लिए कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या

(1) संविदा में चिन्हित परिसंपत्ति का प्रयोग शामिल है।

(2) कंपनी की पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के प्रयोग से हर प्रकार के उल्लेखनीय लाभ होंगे और

(3) कंपनी को परिसंपत्ति के प्रयोग के लिए निदेश देने का अधिकार है।

पट्टे के आरंभ की तारीख को कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं में परिसंपत्ति के अधिकार और समनुरूपी पट्टा दायित्व को मान्यता देती है जिसमें कंपनी पट्टेदार हो सिवाय उस स्थिति को छोड़ कर जब

(क) पट्टे 12 महीने या कम अवधि (अल्पकालिक पट्टे) के हों और

(ख) कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पावधिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए कंपनी, पट्टे की अवधि के लिए सीधी रेखा आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में पट्टा भुगतानों को मान्यता देती है।

कुछ पट्टा प्रबंधनों में पट्टों को पट्टे की अवधि समाप्त होने से पूर्व विस्तारित या समाप्त करने का विकल्प शामिल होता है। परिसंपत्तियों और पट्टा देयताओं के प्रयोग के अधिकार में ये विकल्प शामिल होते है जब तर्कसंगत रूप से निश्चित हो कि उनका प्रयोग किया जाएगा।

परिसंपत्तियों ने अधिकार को आरंभिक रुप में उस लागत पर मान्यता दी जाती है जिसमें पट्टे के आरंभ होने की तारीख को या उससे पहले किए गए किसी पट्टा भुगतान के लिए समायोजित पट्टा देयता की आरंभिक राशि तथा आरंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हो जिसमें से कोई पट्टा प्रोत्साहन हटाया गया हो। बाद में उनका मापन संचित मूल्यह्रास और क्षतिग्रस्त हानियों को घटाकर शेष लागत पर किया जाता है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के मूल्यह्रास को पट्टा अवधि के लघु हिस्से या परिसंपत्ति के

उपयोगी जीवन के लिए सीधी रेखा आधार पर आरंभ होने की तारीख से किया जाता है, यदि पट्टेदार, पट्टा अवधि के अंत तक परिसंपत्ति के स्वामित्व को हस्तांतरित कर देता है या परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की लागत से प्रतिबिम्बित होता है कि क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अन्यथा, परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार का मूल्यह्रास/परिशोधन पट्टा काल की लघु अवधि और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर आरंभ की तारीख से किया जाएगा।

वसूलनीयता के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार का आंकलन उस स्थिति में किया जाता है जब घटनाओं या स्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि रखाव राशि की वसूली नहीं की जा सकती। क्षतिग्रस्तता परीक्षण के प्रयोजन से वसूलनीय राशि/उचित मूल्य से अधिक जिसमें से बेचने के लिए लागत घटाई गई हो और प्रयोग में मूल्य का निर्धारण वैयक्तिक परिसंपत्ति आधार पर किया जाता है जब तक परिसंपत्ति से इतना नकदी प्रवाह उत्पन्न न होता हो जो मुख्य रूप से अन्य परिसंपत्तियों से स्वतंत्र हो। ऐसे मामलों में वसूलनीय राशि का निर्धारण उस नकद उत्पादन इकाई (सीजीयू) के लिए किया जाता है जिससे परिसंपत्ति सम्बधित होती है।

आरंभिक रुप से पट्टा देयता का मापन भावी पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर किया जाता है। पट्टे में निहित ब्याज दरों का प्रयोग कर पट्टा भुगतान में छूट दी जाती है या यदि तुरंत निर्धारण न किया जा सके तो वृद्धिगत उधारी लागत का प्रयोग कर ऐसा किया जाता है। पट्टा देयता का पुनः मापन, परिसंपत्ति के प्रयोग से जुड़े अधिकार के समनुरुपी समायोजन के साथ किया जाता है, यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन कर देती है कि वह विस्तार या परिसमापन विकल्प का प्रयोग करेगी या नहीं।

22. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर की राशि शामिल होती है। लाभ और हानि विवरण में आयकर को मान्यता दी जाती है, सिवाए उस सीमा के जो सीधे इक्विटी अथवा अन्य व्यापक आय की मदों से संगत है। इस स्थिति में यह भी सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय से पहचाना जाता है।

22.1 वर्तमान आयकर

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित है। वर्तमान आयकर प्रभार की कर कानूनों अथवा भारत में जहां कंपनी कार्यरत हैं और कर योग्य आय अर्जित करती है, तुलन– पत्र की तिथि को समुचित रूप से लागू कर कानूनों के आधार पर गणना की जाती है।

22.2 आस्थगित कर

22.2.1 तुलन– पत्र के अनुसार आस्थगित कर को पहचाना जाता है। कंपनी के वित्तीय विवरण में परिसंपत्तियों की रखाव राशि और देनदारियों में अंतर तथा तुलन– पत्र दायित्व विधि से तदनुरूप कर आधार को कर योग्य लाभ की गणना की जाती है। आस्थगित कर दायित्व सामान्यतया सभी कर योग्य अस्थायी अंतर तथा आस्थगित कर परिसंपत्तियां सामान्यतया सभी घटाने योग्य अस्थायी अंतर अप्रयुक्त कर हानियां तथा अप्रयुक्त कर जमाओं से पहचानी जाती है। जिस सीमा तक यह संभावित है कि भावी कर योग्य लाभ उन घटाने योग्य अस्थायी अंतरों से अप्रयुक्त कर हानियों और इस्तेमाल की जा सकने वाली अप्रयुक्त कर जमाओं से सुलभ है। ऐसी परिसंपत्तियां और देनदारियां मान्य नहीं हैं यदि किसी परिसंपत्ति या देनदारी की प्रारंभिक पहचान से उद्भूत अस्थायी अंतर जिसमें संव्यवहार न तो कर योग्य लाभ अथवा हानि अथवा लाभ या हानि के लेखे को प्रभावित करता है।

22.2.2 प्रत्येक तुलन– पत्र की तिथि को आस्थगित कर संपत्तियों की रखाव राशि की समीक्षा की जाती है और उस स्तर तक घटाया जाता है कि जब समुचित कर योग्य लाभ उपलब्ध होने की संभावना है जिसके लिए अस्थायी अंतर को प्रयुक्त किया जा सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों से मापा जाता है जो उस अवधि में अपेक्षित हैं जिसमें देनदारियां परिनिर्धारित की जाती है

अथवा परिसंपत्ति प्राप्त की जाती है जो लागू कर दरों (और कर कानूनों) पर आधारित अथवा तुलन– पत्र की तिथि को मूल रूप से लागू हैं। आस्थगित कर देनदारियां और परिसंपत्तियां कंपनी के अपेक्षित तरीकों के अनुरूप रिपोर्टिंग तिथि को वसूली अथवा परिसंपत्तियों और देनदारियों की रखाव राशि का निर्धारण आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों का मापन कर–परिणामों को प्रतिबिम्बित करती है।

22.2.3 आस्थगित कर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य होता है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जिस सीमा तक यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य मदों से संबंधित हो, उस स्थिति में यह अन्य समग्रित आय या साम्या में मान्य होता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों को वर्तमान कर देनदारियों के संदर्भ में समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार हो, और जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां तथा देनदारियां जो आयकर उगाही से संबंधित उसी कर अधिकारी से जिसका या तो कर योग्य अस्तित्व अथवा भिन्न कर योग्य अस्तित्व हो जिसका उद्देश्य निवल आधार पर शेष को निपटाने का हो।

चालू अवधि के लिए आस्थगित कर वसूली समायोजन लेखों को उस सीमा तक सीईआरसी विनियम के अनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शीर्ष में जमा/नामे किया जाता है जिस सीमा तक वर्तमान अवधि के लिए आस्थगित कर बाद की अवधि में वर्तमान कर के रूप में रहता है और इक्विटी (आरओई) पर संगणना, टैरिफ के एक घटक, को प्रभावित करता है।

22.2.4 जब आयकर के व्यवहार के बारे में अनिश्चितता हो तो कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या किसी प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना है। यदि यह इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित कर व्यवहार को स्वीकार करने की संभावना नहीं है तो कर योग्य आय पर अनिश्चितता के प्रभाव कर के आधार पर अप्रयुक्त कर हानियों और अप्रयुक्त कर उधारियों को मान्य किया जाता है। अनिश्चितता के प्रभाव को इस पद्धति का प्रयोग कर मान्य किया जाता है कि प्रत्येक मामले में अनिश्चिता का परिणाम भली भांति प्रतिबिम्बित हो रहा है जो अनुमानित मूल्य का सबसे संभावित परिणाम है। प्रत्येक मामले के लिए कंपनी इस बात का मूल्यांकन करती है कि क्या प्रत्येक अनिश्चित कर व्यवहार पर अलग से विचार किया जाए या दूसरे या कई अनिश्चित कर व्यवहारों के संयोजन में इस आधार पर विचार किया जाए कि सर्वोत्तम अनिश्चितता के समाधान को तय करता है।

23. नकदी प्रवाह विवरण

23.1 नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) –7 में विनिर्दिष्ट परोक्ष तरीके से तैयार किया जाता है। नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी समतुल्य, हाथ में नकदी, वित्तीय संस्थानों में मांग पर जमा, अन्य लघु अवधि, तीन माह अथवा कम अवधि के अत्यधिक तरल निवेश, जिन्हें ज्ञात राशि में तत्काल नकदी में बदला जा सके जिनका परिवर्तनीय जोखिम महत्वहीन हो तथा बैंक ओवर ड्राफ्ट शामिल हैं। तथापि तुलन– पत्र प्रस्तुति में बैंक ओवर ड्राफ्ट को तुलन– पत्र की वर्तमान देनदारियों में उधार के रूप में दर्शाया जाता है।

24. प्रचलित बनाम अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

24.1 कंपनी तुलन– पत्र में प्रचलित/अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर परिसंपत्तियां और देनदारियां प्रस्तुत करती है।

- सामान्य प्रचालन चक्र में प्राप्ति अथवा विक्रय तथा उपभोग करना अपेक्षित हो
- प्राथमिक रूप से व्यापारिक उद्देश्य हेतु रखा गया हो

- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर प्राप्ति अपेक्षित हो अथवा
- जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद विनिमय अथवा इस्तेमाल हेतु प्रतिबंधित नहीं हो, देनदारी निर्धारण करने के लिए नकदी अथवा नकदी समतुल्य

अन्य सभी परिसंपत्तियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.2 किसी देनदारी को प्रचलित माना जाता है, जबकि

- सामान्य प्रचालन चक्र में उनका निर्धारण अपेक्षित हो।
- प्राथमिक रूप से ट्रेडिंग के उद्देश्य से रखा गया हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के अंदर निर्धारण हेतु देय हो, अथवा
- रिपोर्टिंग अवधि के कम से कम 12 माह बाद देनदारियों के निर्धारण को आस्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं हो।

अन्य सभी देनदारियों को अप्रचलित वर्गीकृत किया जाता है।

24.3 आस्थगित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों को गैर चालू परिसंपत्तियों एवं देनदारियों में वर्गीकृत किया गया है।

25. विनियामक आस्थगित खाता शेष

25.1 सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बाद की अवधि में लाभार्थियों से वसूल किए जाने या उन्हें भुगतान किए जाने की सीमा तक के व्यय/आय जिन्हें लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी गयी है, को विनियामक आस्थगित 'लेखा शेष' के रूप में मान्यता दी जाती है।

25.2 इन विनियामक आस्थगित लेखा शेष को उस वर्ष से समायोजित किया जाता है जिस वर्ष ये लाभार्थियों को भुगतान योग्य या उनसे वसूली योग्य हो जाता है।

25.3 विनियामक आस्थगित लेखा शेष का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन–पत्र पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि महत्त्वपूर्ण गतिविधियां मान्य मानदंडों के अनुसार है और संभव है कि ऐसे शेष से जुड़े भावी आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होंगे। यदि ये मानदंड पूरे नहीं होते तो विनियामक आस्थगित लेखा शेष अमान्य हो जाते हैं।

26. प्रति शेयर आय

26.1 प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि को वित्त वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है। प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत आय की गणना कंपनी के इक्विटी अंशधारकों को देय निवल लाभ या हानि, प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचारित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तथा इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती जिन्हें डाइलूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयरों का परिवर्तन कर जारी किया गया हो।

इक्विटी शेयरों और पोटेंशियली डाइलूटिव इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन पूर्वव्यापी प्रभाव से उन सभी अवधियों के लिए किया जाता है जिन्हें वित्त वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयरों के लिए प्रस्तुत किया गया हो। प्रति शेयर मूल और तनुकृत आय की गणना विनियामक आस्थगित लेखा शेष में संचालनों को छोड़कर अर्जित राशियों का प्रयोग कर की जाती है।

27. लाभांश

27.1 कंपनी के अंशधारकों को देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप मान्य किया जाता है जिस अवधि में इन्हें क्रमशः अंशधारकों और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

28. प्रचालन खंड

28.1 एएस 108 के अनुसार खंड की सूचनाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त प्रचालन खंडों की पहचान उन आंतरिक रिपोर्टों के आधार पर की जाती है जिनका प्रयोग कंपनी का प्रबंधक वर्ग खंड को संसाधन आबंटित करने और उनके निष्पादन

का आंकलन करने के लिए करता है। इंड एएस 108 के अर्थों में निदेशक मंडल को सामूहिक रूप से कंपनी का "मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता" या "सीओडीएम" कहा जाता है। आंतरिक रिपोर्टिंग के प्रयोजन से प्रयुक्त संकेतक मौजूद निष्पादन मूल्यांकन उपायों के संबंध में आकार ले सकते है।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले खंड संबंधी है परिणामों में खंड को सीधे आबंटित की जाने वाली तथा तर्कसंगत आधार पर आबंटित की जाने वाली मदें शामिल होती हैं। आबंटित न की गई मदों में मुख्य रूप से कारपोरेट व्यय, वित्तीय लागतें, आयकर व्यय तथा कारपोरेट आय शामिल होती है।

खंड को सीधे दिये जाने वाले राजस्व पर खंड राजस्व के रूप में विचार किया जाता है। खंड को सीधे दिए जाने वाले व्यय और तर्कसंगत आधार पर आबंटित सामान्य व्यय पर खंड व्यय के रूप में विचार किया जाता है।

खंड पूंजी व्यय अवधि के दौरान वह पूरी लागत होती है जिसका प्रयोग संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया हो। इसमें सदिच्छा से इतर अमूर्त संपत्तियां भी आती है।

खंड परिसंपत्तियों में संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर, अमूर्त परिसंपत्तियां, व्यापार और अन्य प्राप्य, मालसूची तथा खंडों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित की जाने वाली अन्य परिसंपत्तियां आती है। खंड रिपोर्टिंग के प्रयोजन से खंड को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर आबंटित किए गए हैं जिसका आधार संबंधित खंडों के लिए प्रचालन हेतु परिसंपत्तियों के प्रयोग की सीमा होती है। खंड परिसंपत्तियों में निवेश, आयकर परिसंपत्तियां, चल रहे पूंजीगत कार्य, पूंजी संबंधी अग्रिम, कारपोरेट परिसंपत्तियां और अन्य चालू परिसंपत्तियां आती हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

खंड की देयताओं में खंड से संबंधित सभी प्रचालन देयताएं शामिल होती हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार तथा अन्य प्राप्य, कर्मचारी हितलाभ और प्रावधान शामिल होते हैं। खंड देयता में इक्विटी, आयकर, देयता ऋण, उधारी और अन्य देयताएं तथा प्रावधान आते हैं जिन्हें तर्कसंगत रूप में खंडों को आबंटित नहीं किया जा सकता।

बिजली का उत्पादन, कंपनी की मुख्य व्यापारिक गतिविधि है। इंड एएस–108 प्रचालन खंड के अनुसार परियोजना प्रबंधन और परामर्शी कार्य रिपोर्ट करने योग्य खंड का निर्माण नहीं करते।

29. विविध

29.1 समान मदों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग को वित्तीय विवरणों में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। असमान प्रकृति की मदों या प्रकार्य को अलग से प्रस्तुत किया जाता है जब तक वे गौण न हों।

टिप्पणी :– 2
संपत्ति संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019 के अनुसार	1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 के बीच की अवधि के लिए	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2020 के अनुसार	31 मार्च, 2019 के अनुसार
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण										
अन्य परिसंपत्तियां										
1. फ्री होल्ड भूमि	3,825	-	-	3,825	-	-	-	-	3,825	3,825
2. जलमग्न भूमि	1,65,132	3,618	-	1,68,750	61,430	5,532	-	66,962	1,01,788	1,03,702
3. भवन	1,00,515	4,423	-	1,04,938	25,290	3,419	-	28,709	76,229	75,225
4. अस्थायी भवन ढांचे	2,418	21	-	2,439	2,418	21	-	2,439	-	-
5. सड़कः पुल तथा पुलिया	16,258	1,107	-	17,365	3,840	599	-	4,439	12,926	12,418
6. जलनिकासी मलनिकासी व्यवस्था तथा जलापूर्ति	2,235	-	-	2,235	759	155	-	914	1,321	1,476
7. निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी	2,245	217	(16)	2,446	1,349	131	(10)	1,470	976	896
8. उत्पादन संयंत्र तथा मशीनरी	3,05,128	12,714	(49)	3,17,793	1,33,502	16,711	(31)	1,50,182	1,67,611	1,71,626
9. ई.डी.पी. मशीनें	1,609	346	(138)	1,817	1,005	245	(119)	1,131	686	604
10. विद्युत संस्थापनाएं	4,577	-	-	4,577	914	128	-	1,042	3,535	3,663
11. पारेषण लाइनें	2,584	82	-	2,666	1,174	438	-	1,612	1,054	1,410
12. कार्यालय तथा अन्य उपकरण	5,866	258	(7)	6,117	2,903	1,800	(5)	4,698	1,419	2,963
13. फर्नीचर तथा फिक्सचर	2,669	240	(2)	2,907	1,230	431	-	1,661	1,246	1,439
14. वाहन	2,073	186	(6)	2,253	874	205	(2)	1,077	1,176	1,199
15. रेलवे साइडिंग	122	-	-	122	45	7	-	52	70	77
16. हाइड्रोलिक कार्य– बांध एवं स्पिलवे	5,18,415	647	-	5,19,062	2,78,925	27,404	-	3,06,329	2,12,733	2,39,490
17. हाइड्रोलिककार्य– टनल, पेनस्टॉक, केनाल्स इत्यादि	1,39,980	20,640	-	1,60,620	80,316	7,700	-	88,016	72,604	59,664
उपजोड़	**12,75,651**	**44,499**	**(218)**	**13,19,932**	**5,95,974**	**64,926**	**(167)**	**6,60,733**	**6,59,199**	**6,79,677**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**12,61,985**	**13,950**	**(284)**	**12,75,651**	**5,32,752**	**63,467**	**(245)**	**5,95,974**	**6,79,677**	**7,29,233**
ख. अमूर्त परिसंपत्तियां										
1. अमूर्त परिसंपत्तियां– साफ्टवेयर	471	-	-	471	386	65	-	451	20	85
उपजोड़	**471**	**-**	**-**	**471**	**386**	**65**	**-**	**451**	**20**	**85**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**397**	**74**	**-**	**471**	**364**	**22**	**-**	**386**	**85**	**33**
ग. परिसंपत्तियों के प्रयोग का अधिकार										
1. भूमि के प्रयोग का अधिकार	3,905	34,496	-	38,401	568	677	-	1,245	37,156	3,337
2. भवन के प्रयोग का अधिकार	-	385	-	385	-	121	-	121	264	-
3. वाहन के प्रयोग का अधिकार	-	735	-	735	-	84	-	84	651	-
उप जोड़	**3,905**	**35,616**	**-**	**39,521**	**568**	**882**	**-**	**1,450**	**38,071**	**3,337**
पिछले वर्ष के आंकड़े	**3,905**	**-**	**-**	**3,905**	**382**	**186**	**-**	**568**	**3,337**	**3,523**

मूल्यह्रास का ब्यौरा	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ई.डी.सी को हस्तांरित मूल्यह्रास	1,889	1,260
पी एंड एल विवरण को हस्तांरित मूल्यह्रास		
पी एंड एल का विवरण आरक्षित पूंजी में मूल्यह्रास समायोजन उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई अंशदान	57,610	55,500
वर्ष के दौरान रू. 1500.00 से अधिक परंतु रू. 5000.00 से कम की अचल परिसंपत्तियां प्राप्त की गई तथा पूरी तरह से उन काम मूल्यह्रास किया गया	21	29

2.1 कोटेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (4X100 मेगावाट) के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा कंपनी को अंतरित 14.37 एकड़ भूमि 01 रू. के कल्पित मूल्य पर लेखांकित किया गया है।

2.2 प्रशुल्क विनियम में सीईआरसी द्वारा प्रदान कि एग ए मूल्यह्रास दर पर विचार करते हुए जलमग्न भूमि परिशोधित की गई और तथ्य यह है कि गाद (सिल्ट) तथा अयप्रतिकूल सामग्री के कारण इसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होगा।

2.3 कंपनी के स्वामित्व वाले हक विलेख के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 41.5 में दिए गए है।

2.4 कंपनी के स्वामित्व वाली जमीन पर अनाधिकृत कब्जे के बारे में ब्यौरे टिप्पणी संख्या 41.6 में दिए गए है।

टिप्पणी :–3
पूंजीगत कार्य प्रगति पर एवं विकासाधीन अमूर्त संपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण			31 मार्च 2020 की समाप्ति पर			31 मार्च. 2020 की स्थिति अनुसार
	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल 2019 की स्थिति अनुसार	01 अप्रैल. 2019 से 31 मार्च. 2020 के दौरान वृद्धि	01 अप्रैल. 2019 से 31 मार्च. 2020 के दौरान समायोजन	01 अप्रैल. 2019 से 31 मार्च. 2020 के दौरान पूंजीकरण	
क. निर्माण कार्य प्रगति पर						
भवन एवं अन्य सिविल कार्य		6,913	8,853	(407)	(3,587)	11,772
सड़क– पुल तथा पुलिया		2,139	1,492	-	(1,127)	2,504
जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी		240	264	-	-	504
उत्पादन संयंत्र एवं मशीनरी		1,43,787	35,716	(14)	(12,234)	1,67,255
जलीय कार्य, बांध, स्पिलवेज, जलमार्ग वियर्स, सर्विस द्वारा तथा अन्य जलीय कार्य		2,45,270	61,459	1,280	(21,370)	2,86,639
जलागम क्षेत्र वनीकरण		8,999	762	(112)	(849)	8,800
विद्युत संस्थापना तथा उपकेन्द्र उपकरण		21	746	(4)	(677)	86
कोयला खान का विकास		3,761	0	0	0	3,761
सौर ऊर्जा का विकास		2,583	0	0	(2,583)	0
अन्य		182	233	-	(28)	387
आबंटन होने तक व्यय						
सर्वेक्षण तथा विकास खर्च		9,816	25	-	(32)	9,809
निर्माण के दौरान व्यय	30.1	2,856	26,239			29,095
घटाएं: पी.एंड एल को आवंटित/प्रभारित निर्माण के दौरान व्यय	30.1		24,896			24,896
पुनर्वास						
पुनर्वास व्यय		31,350	4,473	-	(29,076)	6,747
घटाएं : सीडब्ल्यूआईपी के लिए प्रावधान		3,483	0	0	0	3,483
जोड़		**4,54,434**	**1,15,366**	**743**	**(71,563)**	**4,98,980**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**3,95,640**	**72,975**	**(1,845)**	**(12,336)**	**4,54,434**
अमूर्त– परिसंपत्तियां विकासाधीन		0	0	0	0	0
पिछले वर्ष के आंकड़े		**33**	**65**	**(29)**	**(69)**	**0**

3.1 सीडब्ल्यूआईपी में मुख्य रूप से टिहरी पीएसपी, वीपीएचईपी और खुर्जा आदि जैसी निर्माणाधीन लगातार जारी परियोजनाएं शामिल हैं। चूँकि निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए क्षति का प्रश्न नहीं उठता।

टिप्पणी :–4

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए– प्रतिभूत		1,650		1,924	
शोध्य समझे गए –अप्रतिभूत		945		762	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए –प्रतिभूत		2,549		2,665	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		189		180	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**5,333**		**5,531**	
घटाएं: प्रतिभूति ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1,186		1,238	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		266	3,881	214	4,079
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		8		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		1		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**9**		**0**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0		0	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		1	8	0	0
उपजोड़			**3,889**		**4,079**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			0		0
जोड़– अग्रिम			**3,889**		**4,079**
टिप्पणी: निदेशकों से देय					
मूलधन		8		0	
ब्याज		1		0	
जोड़		**9**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		1	8	0	0
टिप्पणी: अधिकारियों से देय					
मूलधन		1		1	
ब्याज		1		1	
जोड़		**2**		**2**	
घटाएं : उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	2

टिप्पणी :–5

गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अग्रिम					
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद रूप में, वस्तु रूप में या प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूलनीय)					
कर्मचारियों को		1		0	
अन्य को		0	1	0	0
जमा					
अन्य जमा		0	0	0	0
जोड़			**1**		**0**

टिप्पणी :–6

आस्थगित कर परिसंपत्ति

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
आस्थगित कर देनदारियां		(2,975)		(2,975)	
आस्थगित कर परिसंपत्ति		96,946	93,971	92,079	89,104
जोड़			**93,971**		**89,104**

टिप्पणी :–7

गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
जमा कर			2,455		6,785
जोड़			**2,455**		**6,785**

टिप्पणी :–8

अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय		0		40	
उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं		0	0	0	40
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			1,453		1,452
उप–जोड़			**1,453**		**1,492**
अग्रिम पूँजी					
अप्रतिभूत					
i) बैंक गारंटी के विरुद्ध (101893 लाख रूपए की बैंक गारंटी के लिए)		93,355		59,337	
ii) पुनर्वास/पुनः स्थापन और विभिन्न सरकारी एजेंसियों को भुगतान		28,746		26,552	
iii) अन्य		39,388		40,435	
iv) अग्रिमों पर उपार्जित ब्याज		7,749	1,69,238	5,528	1,31,852
घटायें : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान			12,402		12,402
उप–जोड़– पूँजी अग्रिम			**1,56,836**		**1,19,450**
जोड़			**1,58,289**		**1,20,942**

टिप्पणी :–9
माल सामग्री

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
मालसामग्री					
(भारित औसत या निवल वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित लागत पर)					
अन्य सिविल और भवन सामग्री		100		104	
यांत्रिक एवं विद्युत भंडार एवं पुर्जे		2,835		2,694	
अन्य (भंडारण एवं पुर्जे सहित)		301		287	
निरीक्षणाधीन सामग्री (लागत पर मूल्य)		9	3,245	25	3,110
घटाएं: अन्य भंडारों के लिए प्रावधान			3		50
जोड़			**3,242**		**3,060**

टिप्पणी :–10
व्यापार प्राप्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
(i) छः माह से अधिक बकाया ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		1,25,714		41,692	
उधारी में हानि		10,076	1,35,790	14,576	56,268
घटाएं–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			10,076		14,576
(ii) अन्य ऋण (निवल)					
अप्रतिभूत शोध्य समझे गए		61,180		1,16,681	
उधारी में हानि		0	61,180	0	1,16,681
जोड़			**1,86,894**		**1,58,373**

टिप्पणी :–11
नकदी और नकदी समकक्ष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
नकदी एवं नकदी समकक्ष					
बैंक में शेष (ऑटो स्वीप, बैंक के साथ लचीला जमा सहित)			2,518		4,576
पास में चैक, ड्राफ्ट्स			2		1
जोड़			**2,520**		**4,577**

टिप्पणी :–12
नकद और नकद समकक्ष को छोड़कर अन्य बैंक शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य बैंक शेष					
अन्य (कंपनी के द्वारा प्रयोग के लिए अनुपलब्ध बैंक में शेष)			58		676
जोड़			**58**		**676**

12.1 बैंक में शेष, जो कंपनी द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए उपलब्ध है, में एलसी/न्यायालय आदेश के विरूद्ध लिअन शेष है।

टिप्पणी :–13
चालू वित्तीय परिसम्पत्तियाँ–ऋण

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
कर्मचारियों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		616		702	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		271		262	
कर्मचारियों के दिए गए ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		174		196	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		9		5	
कर्मचारियों को कुल ऋण		**1,070**		**1,165**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		187		147	
घटाएं: अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		41	842	31	987
निदेशकों को ऋण					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
अशोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		2		0	
निदेशकों के ऋणों पर उपार्जित ब्याज					
शोध्य समझे गए – प्रतिभूत		0		0	
शोध्य समझे गए – अप्रतिभूत		0		0	
निदेशकों को कुल ऋण		**2**		**0**	
घटाएं: प्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0		0	
घटाएं:अप्रतिभूत ऋणों का उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	0
उपजोड़			**844**		**987**
घटाएं: अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान			8		8
कुल अग्रिम			**836**		**979**
टिप्पणी: निदेशकों द्वारा देय					
मूलधन		2		0	
ब्याज		0		0	
जोड़		**2**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	2	0	0
टिप्पणी: अधिकारियों द्वारा देय					
मूलधन		0		0	
ब्याज		0		0	
जोड़		**0**		**0**	
घटाएं: उचित मूल्यांकन समायोजन		0	0	0	0

टिप्पणी :–14

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – अग्रिम

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
(नकद या वस्तु या प्राप्त होने वाले मूल के लिए वसूलनीय अग्रिम)					
कर्मचारियों को		478		251	
अन्य को		35	513	35	286
जमा					
प्रतिभूति जमा		1,272		915	
सरकार/न्यायालय के पास जमा		48,312		3,088	
अन्य जमा		2	49,586	24	4,027
जोड़			**50,099**		**4,313**

टिप्पणी :–15

चालू वित्तीय परिसंपत्तियां–अन्य

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अन्य					
अनबिल्ड राजस्व			25,706		11,755
जोड़			**25,706**		**11,755**

15.1 अनबिल्ड राजस्व में 2020 के बिक्री और अप्रैल, 2020 हिसाब में लिया गया। 11158 लाख रू. (गत वर्ष 11755 लाख) और 14548 लाख रू. लंबित प्रशुल्क याचिका (वसूलनीय 16196 लाख रू. और प्रतिदेय 1648 लाख रू. (गतवर्ष शून्य वसूलनीय और भुगतान शून्य के लिए शेष)

टिप्पणी :–16

चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
जमा किया गया कर			6,037		2,264
जोड़			**6,037**		**2,264**

टिप्पणी :–17
अन्य चालू परिसंपत्तियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
पूर्व भुगतान व्यय			4,007		2,971
उपार्जित ब्याज			6		16
निपटान के लिए धारित बीईआर परिसंपत्तियां			44		16
उचित मूल्यांकन के कारण अस्थगित कर्मचारी लागत			228		178
उप जोड़			**4,285**		**3,181**
अन्य अग्रिम (अप्रतिभूत)					
कर्मचारियों को			18		35
खरीद के लिए			1,240		1,255
अन्य को			1,871		1,532
			3,129		**2,822**
घटाएं: विविध वसूलियों के प्रावधान			1,441		1,441
उप जोड़–अन्य अग्रिम			**1,688**		**1,381**
जोड़			**5,973**		**4,562**

टिप्पणी :–18
विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
अथ शेष			8,781		0
वर्ष के दौरान निवल संचालन			9,841		8,781
अंत शेष			**18,622**		**8,781**
घटाएं: विनियामक अस्थगित लेखा शेष के निवल संचलन परिशेष			869		1,616
कुल			**17,753**		**7,165**

18.1 विनियामक आस्थगित लेखा डेबिट शेष 01.1.2017 से वेतन परिवर्तन के कारण वेतन एरियर के प्रभाव के कारण है जो 12508 लाख रू. विनिमय दर परिवर्तन के कारण 5870 लाख और कर तथा अन्य 244 लाख रू. है

टिप्पणी :–19
शेयर पूंजी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृत					
1000/– रूपये प्रत्येक के इक्विटी शेयर		4,00,00,000	40,00,00.00	4,00,00,000	40,00,00.00
निर्गत, अभिदत्त तथा प्रदत्त पूंजी		3,66,58,817	3,66,588	3,65,48,817	3,65,488
1000/–रू. प्रत्येक के पूर्व प्रदत्त इक्विटी शेयर					
कुल		**3,66,58,817**	**3,66,588**	**3,65,48,817**	**3,65,488**

टिप्पणी :–19.1

कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक, शेयर वाले शेयर धारकों का विवरण

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	प्रतिशत	शेयरों की सं.	प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारक					
1. एनटीपीसी लिमिटेड (नामित शेयरों सहित)		2,73,09,412	74.496	0	0
2. भारत सरकार (नामित शेयरों सहित)		0	0	2,71,99,412	74.419
3. उत्तर प्रदेश सरकार (नामित शेयरों सहित)		93,49,405	25.504	93,49,405	25.581
जोड़		**3,66,58,817**	**100**	**3,65,48,817**	**100**

टिप्पणी :–19.2

शेयरों की संख्या तथा बकाया शेयर पूंजी का समाधान

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 की स्थिति अनुसार		31/03/2019 की स्थिति अनुसार	
		शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
आदि		3,65,48,817	3,65,488	3,62,74,317	3,62,743
जारी		1,10,000	1,100	2,74,500	2,745
अंत		**3,66,58,817**	**3,66,588**	**3,65,48,817**	**3,65,488**

19.3 कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर हैं जो प्रति शेयर 1000/–रु. सम मूल्य के हैं इक्विटी शेयर धारक समय–समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयर धारकों की बैठकों में अपने शेयर होल्डिंग के अनुपात में मतदान करने के अधिकार के हकदार हैं।

टिप्पणी :–20

अन्य इक्विटी

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
आबंटन लंबित रहते हुए शेयर आवेदन धनराशि			0		400
प्रतिधारित आय			5,84,553		5,07,118
डिबेंचर मोचन आरक्षिती			3,900		4,500
अन्य व्यापक आय			(1,794)		(112)
जोड़			**5,86,659**		**5,11,906**

20.1 नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार और दिनांक 16.08.2019 के कारपोरेट कार्य मंत्रालय सं.जी.एस.आर 574(अ) के अनुरुप कंपनी के लाभ में से विवेक सम्मत आधार पर बांडों के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से डिबेंचर मोचन आरक्षित का सृजन किया है जो बांडों के मोचन के प्रयोजन से बांडों के मोचन की वर्ष से पूर्व वर्ष तक प्रत्येक वर्ष समान किश्तों में होगा।

टिप्पणी :–21

गैर –चालू– वित्तीय देयताएं – उधारियाँ

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
क. बॉंड्स					
***बॉंड्स निगम श्रृंखला–I – प्रतिभूत**					
(प्रत्येक रू. 1000000/– के 7.59 प्रतिशत की दर से गैर–परिवर्तिनीय बांड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय) (मोचन की तारीख 03.10.2026)			60,000		60,000
**बांड निर्गत श्रृंखला–II –प्रतिभूत					
(प्रत्येक 1000000/– जो 8.75 प्रतिशत की दर से गैर परिवर्तनीय बांड 10 वर्षीय सुरक्षित प्रतिदेय मोचन की तारीख: 05.09.2029			1,50,000		0
जोड़ (क)			**2,10,000**		**60,000**
ख. प्रतिभूत					
***पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) –78302003 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(15 अक्टूबर, 2008 से 15 जुलाई, 2023 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है।)			22,569		31,597
#पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि. (पीएफसी) –783020002 (केएचईपी के लिए)					
(15 जनवरी, 2012 से 15 अक्टूबर, 2021 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय, वर्तमान में 9.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू है)			8,775		20,475
#रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) (केएचईपी के लिए)					
(यूए.जीई पीएसयू–033 2010 3754)					
30 सितम्बर, 2012 से 30 जून, 2022 तक 10 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			8,759		15,767
***रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि. (आरईसी) 330001 (टिहरी एचपीपी के लिए)**					
(सितम्बर,2007 से मार्च, 2022 तक 15 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय 9.35 प्रतिशत की दर से फ्लोटिंग ब्याज दर लागू)			9,518		19,036
@पंजाब नेशनल बैंक (पीएसपी के लिए)					
पंजाब नेशनल बैंक (30.06.2019 से 31.03.2024 तक 5 वर्षों में तिमाही किश्तों में प्रतिदेय) वर्तमान में फ्लोटिंग ब्याज दर/ एम सीएलआर प्रतिवर्ष 8.05 प्रतिशत			42,000		56,000
जोड़ (ख)			**91,621**		**1,42,875**

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
ग. अप्रतिभूत					
विदेशी मुद्रा ऋण					
(भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा)					
$विश्व बैंक ऋण–8078–आईएन (वीपीएचईपी के लिए)					
(15 नवम्बर, 2017 से 15 मई, 2040 तक 23 वर्षों के भीतर छमाही किश्तों में प्रतिदेय ब्याज दर/एलआईबीओआर भिन्नता विस्तार अर्थात वर्तमान में 2.61 प्रतिशत			93,049		62,326
जोड़ (ग)			**93,049**		**62,326**
घ. पट्टा दायित्व					
अप्रतिभूत			1,026		0
कुल (क+ख+ग+घ)			**3,95,696**		**2,65,201**

* *टिहरी एचपीपी चरण की चल परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–। सुरक्षित हैं।*

** *टिहरी एचपीपी चरण–।। की चल परिसंपत्तियों पर समरुप आधार पर बही में दर्ज कर्ज सहित प्रथम प्रभार बांड श्रृंखला–।। सुरक्षित हैं।*

*** *टिहरी चरण–। की परिसंपत्तियां अर्थात बांध पावर हाउस, सिविल निर्माण, अन्य ऋणों में शामिल न किए गए पावर हाउस इलेक्ट्रिकल उपस्कर पर समरुप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण अन्य उधारों के अंतर्गत नहीं आते है। टिहरी बांध और एचपीपी की परियोजना टाउनशिप पर सभी प्राधिकारों के साथ उससे संबंध रखती है।*

\# *कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार द्वारा प्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण*

@ *टिहरी पीएसपी की परिसंपत्तियों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार के लिए हस्ताक्षरित आडमान के लिए प्रतिभूत मध्यकालिक ऋण है।*

$ *संबंधित ऋण रैंकिंग समरूप के तहत वित्तपोषित उपस्करों पर नकारात्मक लिएन सहित*

21.1 इसमें वर्ष के दौरान किसी ऋण या उस पर ब्याज चुकाने में कोई चूक नहीं हुई है।

21.2 उधारियों के संबंध में प्राप्त की गई अधिस्थगन सुविधा का ब्यौरा 41.8 में प्रकटित किया गया है।

टिप्पणी :–22
गैर चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
देनदारियां					
ठेकेदार आदि से जमा, प्रतिधारण राशि		2,757		2,042	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन, प्रतिभूति जमा/प्रतिधारण राशि		219	2,538	248	1,794
जोड़			**2,538**		**1,794**

टिप्पणी :–23
अन्य गैर चालू देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
मूल्यह्रास के विरूद्ध अग्रिम के लेखे पर आस्थगित राजस्व			20,511		21,271
सिंचाई घटक के लिए अंशदान					
सिंचाई सेक्टर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त अंशदान		1,44,118		1,44,118	
घटाएं:					
मूल्यह्रास के प्रति समायोजन		80,771	63,347	74,397	69,721
अन्य देनदारियां			0		0
आस्थगित उचित मूल्यांकन लाभ: प्रतिभूति जमा / प्रतिधारण राशि			219		248
जोड़			**84,077**		**91,240**

टिप्पणी :–24
गैर चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
			वृद्धि	समायोजन	उपयोग	
1. कर्मचारियों से संबंधित		38,671	2,556	(3,838)	(3,702)	33,687
2. अन्य		812	0	(134)	(12)	666
जोड़		**39,483**	**2,556**	**(3,972)**	**(3,714)**	**34,353**
पूववर्ती वर्ष के आंकड़े		**35,087**	**4,651**	**3,492**	**(3,747)**	**39,483**

24.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 41.17 में कर दिया गया हैं ।

24.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी :–25
चालू वित्तीय देनदारियां –उधार

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31/03/2020 के अनुसार		31/03/2019 के अनुसार	
बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से अल्पकालिक					
क. प्रतिभूत ऋण					
#बैंक आफ इंडिया फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एमएलसीआर 8.30 प्रतिशत– 0.10 प्रतिशत मार्जिन वर्तमान में 8.40 प्रतिशत			0		59,958
+ भारतीय स्टेट बैंक फ्लोटिंग दर आधार पर एक माह के लिए एमएलसीआर 0.15 प्रतिशत वर्तमान 7.6 प्रतिशत			16,000		0
@पंजाब नेशनल बैंक फ्लोटिंग आधार पर 06 माह के लिए एमएलसीआर वर्तमान में 7.85 प्रतिशत			23,500		0
***बैंकों से ओवर ड्राफ्ट (ओडी)**					
पंजाब नेशनल बैंक (ओडी) फ्लोटिंग दर आधार पर एक वर्ष के लिए एमएलसीआर अर्थात वर्तमान में 8.05 प्रतिशत)			72,006		61,882
जोड़			**1,11,506**		**1,21,840**

 # बैंक आफ इंडिया से अल्पकालिक ऋण कंपनी के ऋण बही (प्राप्यों) प्रभार द्वारा प्राप्त किया जाता है

+ भारतीय स्टेट बैंक से अल्पकालिक ऋण कोटेश्वर एचईपी के व्यापार प्राप्य के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

@ पंजाब नेशनल बैंक में अल्पकालिक ऋण टिहरी चरण–। और कोटेश्वर एचईपी की परिसंपत्ति ब्लाक के द्वितीय प्रभार के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

** परियोजना स्थल पर मशीनरी स्पेयर्स औजार और अनुषंगियों ईंधन स्टाक स्पेयर्स एवं सामग्री सहित टिहरी चरण–। और कोटेश्वर (एचईपी) की कंपनी की परिसंपत्तियों के ब्लाक पर द्वितीय प्रभार के रूप में प्राप्त किया जाता है।*

25.1 उधार के संबंध में प्राप्त अधिस्थगन सुविधा के ब्यौरे टिप्पणी सं.41.8 में प्रकट किए गए है।

टिप्पणी :–26
अन्य चालू वित्तीय देनदारियां

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता					
क. प्रतिभूत *			54,753		51,253
(भारतीय मुद्रा में ऋण)					
जोड़ (क)			**54,753**		**51,253**
ख. अप्रतिभूत *			4,762		3,184
जोड़ (ख)			**4,762**		**3,184**
पट्टा दायित्वों की वर्तमान परिपक्वता– अप्रतिभूत			562		0
जोड़			**60,077**		**54,437**
देनदारियां					
व्यय के लिए					
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए		5		22	
अन्य के लिए		10,099	10,104	15,615	15,637
ठेकेदारों आदि से जमा प्रतिधारण राशि		6,822		6,404	
घटाएं: उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि		0	6,822	0	6,404
आस्थगित उचित मूल्य लाभ– प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			0		0
ब्याज उपार्जित पर देय नहीं					
बांडधारक और वित्तीय संस्थाएं		12,151		4,665	
अन्य देनदारियां		0	12,151	0	4,665
जोड़			**29,077**		**26,706**
कुल देनदारियां			**89,154**		**81,143**

** प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत दीर्घकालिक ऋण की ब्याज दर एवं वर्तमान परिपक्वता को चुकाने की शर्तों के संबंध में ब्यौरे टिप्पणी–21 में दिए गए हैं।*

टिप्पणी :–27
अन्य चालू देयताएं

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
देयताएं					
मूल्यह्रास के प्रति लिए गए अग्रिम के कारण आस्थगित राजस्व			760		0
अन्य देयताएं			6,786		3,857
जोड़			**7,546**		**3,857**

टिप्पणी :–28
चालू प्रावधान

राशि लाख ₹ में
(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कमी से संबंधित है)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
		01 अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	समायोजन	उपयोग	31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार
1. कार्य		563	1,755	0	(487)	1,831
2. कर्मचारियों से संबंधित		10,384	9,118	(897)	(9,419)	9,186
3. अन्य		1,346	515	(38)	(161)	1,662
जोड़		**12,293**	**11,388**	**(935)**	**(10,067)**	**12,679**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**21,015**	**14,146**	**(4,822)**	**(18,046)**	**12,293**

28.1 कर्मचारियों के हितलाभ के संबंध में इंड एएस–19 के तहत अपेक्षित प्रकटन टिप्पणी सं. 41.17 में कर दिया गया है।

28.2 अन्य के लिए प्रावधान में मुख्य रूप से पुनर्वास व्यय के प्रावधान शामिल हैं।

टिप्पणी :–29
चालू कर देताएं (निवल)

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
आय कर					
आदि शेष			4,494		0
अवधि के दौरान वृद्धि			17,255		32,557
अवधि के दौरान समायोजन			0		0
अवधि के दौरान उपयोग			(21,749)		(28,063)
अंत शेष			**0**		**4,494**

टिप्पणी :–30
विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष

राशि लाख ₹ में

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 के अनुसार		31 मार्च, 2019 के अनुसार	
आदि शेष			56,997		51,071
वर्ष के दौरान निवल संचलन			4,866		5,926
अंत शेष			**61,863**		**56,997**

30.1 विनियामक आस्थगित लेखा क्रेडिट शेष लाभार्थियों से वसूलनीय आस्थगित कर समायोजन के कारण है

टिप्पणी :–30.1
निर्माण के दौरान व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
व्यय					
कर्मचारियों के लाभ पर होने वाला व्यय	31				
वेतन, मजदूरी, भत्ते तथा लाभ		14,720		15,319	
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान		995		954	
पेंशन निधि		1,341		707	
उपदान		599		494	
कल्याण		410		258	
आस्थगित कर्मचारी लागत का परिशोधन व्यय		2	18,067	10	17,742
अन्य व्यय	33				
किराया					
कार्यालय हेतु किराया		15		63	
कर्मचारी आवास हेतु किराया		101	116	202	265
दर एवं कर			130		22
विद्युत एवं ईंधन			927		510
बीमा			28		35
संचार			97		127
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयत्र एवं मशीनरी		2		2	
स्टोर एवं अतिरिक्त कल पुर्जों की खपत		0		0	
भवन		397		323	
अन्य		181	580	228	553
यात्रा एवं वाहन			160		226
वाहन भाड़े पर लेना एवं चलाना			464		543
सुरक्षा			198		305
प्रचार तथा जनसंपर्क			19		93
अन्य सामान्य व्यय			3,506		1,306
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			2		3
सर्वेक्षण और सर्वेक्षण व्यय			282		13
ब्याज अन्य			156		87
मूल्यह्रास	2		1,889		1,260
कुल व्यय (क)			**26,621**		**23,090**
प्राप्तियां					
अन्य आय	**32**				
ब्याज					
बैंक जमा से		11		5	
कर्मचारियों से		61		84	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम: प्रभावी ब्याज के लेखे में समायोजन		2		10	
अन्य से		0	74	4	103
मशीन किराया प्रभार			1		1
किराया प्राप्तियां			75		67

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विविध प्राप्तियां			335		146
प्रावधान की गई अधिकार राशि को हटाना			1		41
उचित मूल्यलाभ–प्रतिभूत जमा/प्रतिधारण राशि			128		88
कुल प्राप्तियां (ख)			**614**		**446**
कराधान से पूर्व निवल व्यय			**26,007**		**22,644**
कराधान के लिए प्रावधान	**37**				
कराधान सहित निवल व्यय			**26,007**		**22,644**
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)	39		(232)		(45)
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2,856		4,023
कुल ईडीसी			**29,095**		**26,712**
घटाएं :					
ईडीसी को सीडब्ल्यू आईपी/परिसम्पत्ति आबंटित		24,184		23,368	
अनुमोदनाधीन परियोजना की ईडीसी जो लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभारित है।		712	24,896	488	23,856
सीडब्ल्यूआईपी को अग्रेषित शेष			**4,199**		**2,856**

टिप्पणी :–31
सतत प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत बिक्री के प्रति लाभार्थियों से आय		2,07,479		1,97,656	
प्रशुल्क समायोजन के कारण विद्युत् बिक्री के लाभार्थियों से आय		2,851		44,877	
घटाएं :					
ग्राहकों को छूट		379	2,09,951	694	2,41,839
विचलन व्यवस्थापन/संकुचन प्रभार			2,344		3,002
परामर्श से आय			15		85
जोड़			**2,12,310**		**2,44,926**

31.1 कंपनी ने टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए वर्ष 2019–2024 की अवधि में प्रशुल्क के निर्धारण के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क याचिका दायर की है। 2019–24 के लिए प्रशुल्क का निर्धारण लंबित रहने पर चालू वित्त वर्ष के लिए बिक्री से प्राप्त राजस्व को वित्त वर्ष 2019–20 के लेखापरीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2019–24 के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2019 में प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।

कंपनी ने 2014–19 की अवधि के लिए ट्रूड अप प्रशुल्क के निर्धारण हेतु टिहरी एचईपी और कोटेश्वर एचईपी के लिए माननीय सीईआरसी के समक्ष प्रशुल्क ट्रूइंग अप याचिकाएं भी दायर की है। 2014–19 के लिए उपरोक्त प्रशुल्क निर्धारण लंबित रहने पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को 2014–19 के लेखा परीक्षित और प्रमाणित एएफसी के आधार पर मान्य किया गया है जिसकी गणना 2014–19 की अवधि के लिए लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियम, 2014 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार ट्रूइंग याचिका में की गई है।

इसके अतिरिक्त, माननीय सीईआरसी ने 2011–14 और 2014–19 तक की अवधि के लिए कोटेश्वर एचईपी हेतु प्रशुल्क याचिकाओं की समीक्षा का निपटान कर दिया है और क्रमशः 16.04.2019 और 04.06.2019 के आदेश द्वारा संशोधित प्रशुल्क प्रदान किया है। उक्त प्रशुल्क आदेशों के प्रभाव और पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित 2851 लाख रूपये की ट्रूइंग अप याचिकाओं को प्रशुल्क समायोजन के रूप में दर्शाया गया है।

प्रशुल्क समायोजन में 112 लाख (पिछले वर्ष 26908 लाख) के प्रशुल्क समायोजन के कारण मिला ब्याज शामिल है।

31.2 भारत के सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) द्वारा विलंब से किए गए भुगतान के संबंध में राय के अनुसरण में 22568 लाख रू. (पिछले वर्ष 31176 लाख रू.) का विलंबित शुल्क अधिभार के प्रचालन से राजस्व के बजाय अन्य आय के अंतर्गत बुक किया गया है।

टिप्पणी :–32

अन्य आय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज					
बैंक जमा राशि पर (इसमें टीडीएस रू. 255932.00 शामिल है, पिछले वर्ष 117652.00 रू.)		289		59	
कर्मचारियों से		223		316	
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम– प्रभावी ब्याज के खाते में समायोजन		177		246	
अन्य		9	698	5	626
मशीन किराए पर लेने पर प्रभार			1		2
किराया प्राप्तियां			145		144
विविध प्राप्तियां			559		339
प्रावधान की गई अधिक राशि का पुनरांकन			4,538		7,277
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ			30		26
देर से भुगतान पर अधिभार			22,568		31,176
उचित मूल्य लाभ–सुरक्षा जमा/प्रतिधारण राशि			301		265
जोड़			**28,840**		**39,855**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		614		446
जोड़			**28,226**		**39,409**

टिप्पणी :–33

कर्मचारी हितलाभ व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन, मजदूरी, भत्ते एवं लाभ			43,087		49,754
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में अंशदान			3,020		3,284
पेंशन निधि			4,156		2,468
उपदान			1,968		1,930
कल्याण व्यय			1,690		1,243
आस्थगित कर्मचारी लागत की परिशोधन व्यय			176		246
जोड़			**54,097**		**58,925**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		18,067		17,742
जोड़			**36,030**		**41,183**

टिप्पणी :–34
वित्त लागत

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वित्त लागत					
बाँडों पर ब्याज			12,013		4,554
घरेलू ऋणों पर ब्याज			19,078		24,681
विदेशी ऋणों पर ब्याज			2,467		2,215
कैश क्रेडिट पर व्यय			4,560		719
एफईआरवी			7,117		3,931
आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान			195		282
ब्याज अन्य			453		265
जोड़			**45,883**		**36,647**
घटाएं:					
सीडब्ल्यूआईपी खाते में अंतरित और पूंजीकृत			21,693		16,606
ईडीसी को अंतरित अन्य ब्याज			156		87
जोड़			**24,034**		**19,954**

टिप्पणी :–35
उत्पादन, प्रशासन एवं अन्य व्यय

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
किराया					
कार्यालय किराया		25		176	
कर्मचारी आवास किराया		254	279	417	593
दर एवं कर			311		99
विद्युत एवं ईंधन			1,999		1,775
बीमा			2,122		2,169
संचार			312		318
मरम्मत एवं अनुरक्षण					
संयंत्र एवं मशीनरी		3,348		2,228	
भंडार एवं कल पुर्जों की खपत		701		559	
भवन		1,630		1,071	
अन्य		2,070	7,749	1,656	5,514
यात्रा एवं वाहन			636		770
वाहन भाड़े पर लेना एवं चालन			1,185		1,448
सुरक्षा			5,326		4,929
प्रचार तथा जनसंपर्क			132		212
अन्य सामान्य व्यय			6,754		4,628
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि			8		23
सर्वेक्षण एवं अन्वेषण खर्चे			995		501

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
अनुसंधान और विकास			480		259
परामर्शी परियोजना/संविदा पर व्यय			6		6
निगम की सीएसआर एवं एसडी गतिविधियों पर व्यय			2,148		1,735
जोड़			**30,442**		**24,979**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		6,509		4,001
जोड़			**23,933**		**20,978**

टिप्पणी :–36
प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्ध, ऋणों, सीडब्लूआईपी तथा ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान			0		4,924
भण्डारों तथा पुर्जों के लिए प्रावधान			0		61
जोड़			**0**		**4,985**
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		0		0
जोड़			**0**		**4,985**

36.1 भंडारों का प्रावधान मुख्यतः अप्रचलन के कारण है।

टिप्पणी :–37
कराधान के लिए प्रावधान

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आयकर					
चालू वर्ष			16,312		30,659
उप जोड़			**16,312**		**30,659**
जोड़			**16,312**		**30,659**

टिप्पणी :–38
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन			4,975		2,855
विनियामक अस्थगित खाता शेष में निवल संचलन पर कर			(869)		(1,616)
जोड़			**4,106**		**1,239**

टिप्पणी :–39
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन

राशि लाख ₹ में

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
ओसीआई के माध्यम से बीमांकिक लाभ/(हानि)			(1,479)		(344)
उपजोड़			(1,479)		(344)
घटाएं :					
ईडीसी को अंतरित	30.1		(232)		(45)
जोड़			(1,247)		(299)

40.1 वित्तीय लिखतों और जोखिम प्रबंधन के संबंध में प्रकटन

इंड एएस 107 वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में लागू है। वित्तीय लिखतों की परिभाषा समावेशी है और इसमें वित्तीय परिसंपत्तियां तथा देयताएं शामिल हैं। नीचे वित्तीय लिखतों से उद्भूत होने वाले जोखिमों की वह प्रकृति और सीमा स्पष्ट की गई है जिस सीमा तक अवधि के दौरान तथा रिपोर्टिंग अवधि के अंत में टीएचडीआईसीएल को जोखिम हो सकता है तथा टीएचडीसीआईएल कैसे इन जोखिमों का प्रबंधन कर रही है।

i) क्रेडिट रिस्क

क्रेडिट रिस्क, वह जोखिम होता है जो काउंटर पक्षकार, किसी वित्तीय लिखत या ग्राहक संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करता है जिससे वित्तीय हानि हो जाती है। कंपनी को अपनी प्रचालन गतिविधियों (प्राथमिक व्यापार प्राप्य), और तथा कर्मचारियों को दिए गए ऋणों सहित वित्तीय गतिविधियों से उधार जोखिम की संभावना होती है।

ii) तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम होता है जिसे कंपनी अस्वीकार्य हानियों के बिना अपने वर्तमान और भावी नकद तथा संपार्श्विक दायित्वों को पूरा कर सके। कोविड–19 ने बाजार खंड में अतिरिक्त तरलता जोखिम की स्थिति पैदा कर दी है।

iii) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिनमें बाजारी मूल्य में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है। बाजार मूल्य में तीन प्रकार के जोखिम होते है।

1. मुद्रा दर जोखिम
2. ब्याज दर जोखिम और
3. अन्य मूल्य जोखिम जैसे इक्विटी मूल्य जोखिम और सामग्री जोखिम

बाजारी जोखिम से प्रभावित वित्तीय लिखतों में ऋण और उधारियाँ जमा और निवेश शामिल होते हैं।

विदेशी मुद्रा जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य या भावी नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होता है।

ब्याज दर जोखिम– वह जोखिम होता है जिसमें बाजारी ब्याज दर में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय लिखत के उचित मूल्य पर भावी नकद प्रभाव में उतार–चढ़ाव होता है।

वित्तीय माहौल– कंपनी का प्रचालन विनियमित माहौल में किया जाता है। कंपनी का प्रशुल्क केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा वार्षिक नियत प्रभार (एएफसी) के माध्यम से तय किया जाता है जिसमें निम्नलिखित पांच घटक होते हैं:–

1. इक्विटी पर प्रतिफल (आरओसी)
2. मूल्यह्रास
3. ऋणों पर ब्याज
4. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय और
5. कार्यशील पूंजी ऋणों पर ब्याज

उपरोक्त के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय में भिन्नता होती है और प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लाभग्राहियों से कर वसूलनीय होते है, इसलिए ब्याज दर में भिन्नताएं मुद्रा विनिमय दर में भिन्नताएं तथा अन्य मूल्य जोखिम भिन्नताएं प्रशुल्क की वसूली जा सकती हैं और कंपनी की लाभप्रदत्ता पर प्रभाव नहीं पढ़ता है।

उन जोखिमों का प्रबंधन (अल्पीकरण)

1. कंपनी, सामान्य व्यापार में ग्राहकों को उधार देती है। कंपनी, ग्राहकों के भुगतान के ट्रैक रिकार्ड की निगरानी करती है। ग्राहकों से प्राप्य बकाया राशि की निगरानी नियमित रूप से की जाती हैं और किसी भी संभावित हानि का प्रावधान किया जाता है।
2. कंपनी, न्यून व्यापार प्राप्य के संबंध में जोखिम के संकेन्द्रण का मूल्यांकन करती है क्योंकि इसके ग्राहक मुख्य रूप से राज्य के स्वामित्व वाले पीएसयू डिस्काम होते है।
3. सीईआरसी प्रशुल्क विनियमन 2019–24 कंपनी को लाभग्राहियों से भुगतान के बाद के अधिभार को वसूलने की अनुमति देता है जिसमें भुगतान में विलंब से उदृत होने वाली धनराशि के समय मूल्य की पर्याप्त प्रतिपूर्ति हो जाती है।

4. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लाभग्राही प्रमुख रूप से राज्य सरकारें/राज्य डिस्काम होते हैं और व्यापार प्राप्य के लिए ऐतिहासिक उधार हानि अनुभव पर विचार कर, कंपनी न तो लाभग्राहियों से प्राप्तियों के मूल्य में क्षति या व्यापार से प्राप्तियों की वसूली में होने वाली देर से धन के समय मूल्य में किसी हानि की परिकल्पना करती है।

5. कंपनी प्रचलन परिणामों और भुगतान व्यवहार में परिवर्तन पर विचार करते हुए सतत आधार पर बकाया व्यापार प्राप्य का आंकलन करती है और मामला दर मामला आधार पर अपेक्षित क्रेडिट के लिए प्रावधान करती है।

6. रिपोर्ट की जाने की तारीख को कंपनी व्यापार प्राप्य की वसूली न होने के कारण किसी चूक जोखिम की परिकल्पना नहीं करती है।

40.2 वित्तीय आस्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार कंपनी ने वर्ष 2018–19 में निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों पर वित्तीय हानि के मापन और मान्यता के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू किया है:

(क) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख है और परिशोधित लागत पर जिनकी माप की जाती है।

(ख) वित्तीय आस्तियाँ जो ऋण विलेख है और एफवीटीओसीआई पर जिनकी माप की जाती है।

(ग) इंड एएस 115 के अंतर्गत व्यापार प्राप्य, राजस्व मान्यता।

(घ) इंड एएस 116 के अंतर्गत प्राप्य पट्टे।

ईसीएल मॉडल में दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं– सामान्य दृष्टिकोण या सरलीकृत दृष्टिकोण। उपरोक्त मामलों के लिए कंपनी ने सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया है। इसमें अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्य की आरंभिक मान्यता में से स्वीकार करना आवश्यक था।

क्षतिग्रस्त हानियों को अन्य वित्तीय आस्तियों की गणना में मान्यता देने के लिए कंपनी यह आंकलन करती है कि क्या शुरुआती मान्यता के समय से उधारी (क्रेडिट) जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि न हुई हो तो आजीवन ईसीएल का प्रयोग किया जाता है। क्रेडिट जोखिम और इम्पेयरमेंट हानि का आकलन करने के लिए कंपनी मद दर मद उधार दर क्रेडिट जोखिम विशेषताओं का आंकलन करती है। यदि कलांतर में लिखितों/मदों की क्रेडिट गुणवत्ता में इतनी वृद्धि होती है कि आरंभिक मान्यता के समग्र से उसमें उल्लेखनीय वृद्धि नहीं रह पाती है तो संख्या 12 माह ईसीएल के आधार पर इम्पेयरमेंट हानि भत्ते को मान्यता देने लगती है।

40.3 कोविड–19 जोखिम

कोविड–19 को नियोजित करने के लिए 22 मार्च को राष्ट्रव्यापी लाकडाउन की घोषणा की गई थी। इसके कारण लाकडाउन अवधि के दौरान कंपनी की प्रचालन और निर्माण गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि कार्यबल की कमी हो गई है और एक राज्य से दूसरे राज्य में सामग्री, उपस्कर आदि के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है दिशानिर्देशों के अनुसार काम के घंटे घटाने तथा कर्मचारियों का रोस्टर बनाने के कारण उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ा।

टीएचडीसीआईएल की सभी निर्माण परियोजनाएं अर्थात टिहरी पीएसपी (1000 मेगावाट), वीपीएचईपी (444 मेगावाट, खुर्जा एसटीपीपी (1320 मेगावाट) और सौर ऊर्जा परियोजना, कासरगाड (50 मेगावाट) से संबंधित कार्य पूरी तरह से लाकडाउन लगाए जाने की अवधि के दौरान ठप्प हो गया था। इसके बाद, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों और एसओपी के अनुसार, सभी अनुशंसित सुरक्षा उपाय अपनाकर 20 अप्रैल, 2020 से कार्य आंशिक रूप से शुरु किया गया क्योंकि परिवहन में कठिनाई के कारण कार्यबल और निर्माण सामग्री की आपूर्ति सीमित हो गई थी। इससे कार्य की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे परियोजनाओं में लगभग 6 माह का विलंब हो सकता है।

प्रचलनात्मक परियोजनाओं के संबंध में लाकडाउन के दौरान उत्पादन, नियोजित उत्पादन से कम था क्योंकि मांग कम हो गई थी। परंतु वर्ष 2020–21 के लिए नियोजित उत्पादन बढ़ा दिया गया है और उत्तरवर्ती महीनों में आरंभिक उत्पादन हानि की भरपाई कर ली जाएगी। इसलिए वार्षिक आधार पर उत्पादन हानि नहीं होगी।

माननीय सीईआरसी ने 2019 प्रशुल्क विनियमन के

विनियम 59 के प्रावधानों को शिथिल कर दिया है। उपरोक्त शिथिलीकरण के अनुसार दिनांक 24.3.2020 से 30.6.2020 के बीच बिलों को प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद वितरण कंपनियों द्वारा देर से भुगतान किए जाने के लिए संबंधित वितरण कंपनियां 1.5 की बजाय प्रति माह 1 प्रतिशत कम की गई दर पर एलपीएस सहित भुगतान करेगी। इससे निलंबित भुगतानों पर कंपनी का राजस्व प्रभावी होगा।

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 15.05.2020 के पत्र और दिनांक 16.05.2020 के शुद्धि पत्र द्वारा सलाह दी है कि केन्द्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पादक कंपनियां डिस्कामों द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिजली के लिए लाकडाउन अवधि में प्रस्तुत बिजली के बिलों (नियत लागत) के लिए वितरण कंपनियों (डिस्काम) को 20 से 25 प्रतिशत तक छूट दे सकती है। तदनुसार, टीएचडीसीआईएल ने मामले की छानबीन की है और डिस्कामों को लगभग 3566 लाख रू. की छूट देने का प्रस्ताव किया है।

देश में कोविड–19 बीमारी के फैलने और उसके परिणामस्वरुप लाकडाउन के कारण बिजली के उपभोक्ताओं से राजस्व संकलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे डिस्कामों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है। इससे बिजली की खरीद के लिए उत्पादकों को भुगतान करने के लिए डिस्कामों की क्षमता में कमी आई है। इसके कारण टीएचडीसीआईएल का नकदी प्रवाह प्रभावित हुआ है।

भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत विद्युत उत्पादक कंपनियों के प्रति डिस्कामों द्वारा देयताओं की जिम्मेदारी पूरी करने के एकमात्र उद्देश्य से राज्यों की गारंटी के लिए प्राप्य धनराशियों और ऋणों के लिए डिस्कामों को 90000 करोड़ रू. के तरलता निषेचन का निर्णय लिया है। इसमें आगामी महीने में उत्पादक कंपनियाँ बकाया देयताओं का बड़ा भाग चुका सकेंगी। सरकार के इस कदम से डिस्कामों से लंबे समय से बकाया देनदारियों तथा टीएचडीसीआईएल की तरलता में सुधार लाने को वसूली करने में मदद मिलेगी।

41. लेखा संबंधी अन्य व्याख्यात्मक टिप्पणियां:

1. पूंजीगत खातों में निष्पादित किए जाने के लिए शेष बची संविदाओं की अनुमानित राशि जिसमें आर एवं आर तथा पर्यावरण मांगे शामिल नहीं हैं तथा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) 680551 लाख रूपये (गत वर्ष रू.199727 लाख) है।

2. **आकस्मिक देयताएं**

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विवरण	को	
		31.03.2020	**31.03.2019**
क	पूंजीगत कार्य	50,472	19,392
ख	भूमि के मुआवजे से संबंधित मामले	6,458	6,362
ग	राज्य/केन्द्र सरकार के विभाग/प्राधिकरण	71,348	59,869
घ	अन्य	2,82,011	2,64,892
ड.	उपरोक्त 'क' से 'घ' तक के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति	NIL	NIL
च	विवादित कर संबंधी मामले	824	757
छ	**जोड़**	**4,11,113**	**3,51,272**
ज	उपरोक्त के लिए विभिन्न माध्यस्थम/अदालती मुकदमें/आयकर/व्यापार कर मामलों कंपनी द्वारा जमा की गई राशि	45,550	550

3. ईएमडी/ एसडी के विरूद्ध अंकित मूल्य का दावा करने के लिए बैंकों/वित्तीय कंपनी संस्थाओं के समक्ष प्रस्तुत करने के अधिकारी सहित कंपनी एफडीआर/सीडीआर प्राप्त कर रही हैं। कंपनी ने 141 लाख रुपये एवं 332 लाख रूपये (गत वर्ष 145 लाख रूपये तथा 568 लाख रुपये) की एफडीआर/ सीडीआर क्रमशः ईएमडी/ प्रतिभूति जमा के रूप में स्वीकार की है। इसके अलावा टिप्पणी 22 एवं 26 में प्रकट की गई सूचना के अनुसार

ठेकेदारों से 9579 लाख रुपये (गत वर्ष 8445 लाख रुपये) राशि ईएमडी एवं प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त की है। जो प्रभावी ब्याज दर के आधार पर यह उचित मूल्य है तथा भली प्रकार से लेखांकित है।

4. वर्ष के दौरान उधार ली गई अधिशेष धनराशियों पर अल्पकालिक जमाधन पर अर्जित ब्याज के लिए 46 लाख रू/(गत वर्ष 58 लाख रू) के समायोजन के बाद टिप्पणी सं. 34 के अनुसार वर्ष के दौरान पंजीकृत उधारी लागत ईडीसी को हस्तांतरित क्रमशः 21693 लाख रू. और 156 लाख रू. है। इसके अतिरिक्त इंड एएस 21 के प्रावधानों के अनुसार विनिमय दर भिन्नता के कारण अस्थगित लेखा शेष डेबिट शेष के रूप में 4591 लाख (पिछले वर्ष 1926 लाख रू.) को मान्य किया गया है।

5 (i) प्रारंभिक रूप से तत्कालीन उ.प्र सिंचाई विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी और भूमि के रिकार्ड टिहरी बांध के नाम पर थे। विस्थापितों ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग को अपनी भूमि सौंपी थीं क्योंकि नामांतरण नहीं हुआ था। तदनंतर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन होने पर भूमि कंपनी के नाम पर अधिग्रहीत की गई थी। कंपनी का टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन होने पर भूमि के समस्त कागजात वर्तमान में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड में परिवर्तन कराने की प्रक्रियाधीन हैं। कंपनी द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहीत 3135.26 हेक्टेयर (गत वर्ष 3033.79 हेक्टेयर) की कुल भूमि में से 2143.84 हेक्टे. भूमि का स्वामित्व कंपनी के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। शेष भूमि 991.42 हेक्टेयर भूमि का प्रत्यावर्तन प्रक्रियाधीन है।

(ii) टिहरी हाइड्रो कांप्लैक्स की शुरुआत सत्तर के दशक के मध्य में तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा की गई थी। चूंकि परियोजना के क्षेत्र में वन क्षेत्र भी शामिल था, इसलिए वन भूमि के गैर वन प्रयोजन के लिए विपथन (डायवर्जन) हेतु अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार से मांगी गई थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार ने सचिव, वन, उत्तर प्रदेश सरकार को संबोधित अपने 9 जून,1987 के पत्र संख्या 8–32/06–एफ द्वारा टिहरी बांध के निर्माण के लिए 2582.9 हेक्टेयर वन भूमि (2311.4 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि तथा 271.50 हेक्टेयर रिजर्व वनभूमि) के डायवर्जन की अनुमति दे दी थी। पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के 24/25, जून 2004 के पत्र सं.8/32/86–एफ सी द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुख्य सचिव वन उत्तराखण्ड सरकार को निदेश दिया गया था कि जलमग्नता से मुक्त की गई वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम,1927 की धारा 4 या धारा 29 या राज्य वन अधिनियम के तहत रिजर्व फोरेस्ट/प्रोटेक्टेड फारेस्ट घोषित करें। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए उक्त भूमि का दाखिल खारिज कपंनी के नाम नहीं किया जा सकता। कथित भूमि, रिजर्व फोरेस्ट/ प्रोटेक्टेड फारेस्ट के रुप में राज्य सरकार की संपत्ति बनी रहती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनुमति के आधार पर बांध रिजर्वायर का पानी उक्त क्षेत्र में जलमग्न होने दिया जा रहा जिसे रिजर्व फारेस्ट घोषित कर दिया गया है।

44.429 हेक्टेयर सिविल सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के अध्यधीन टिहरी हाइड्रो परियोजना के अभिन्न अंग की आवश्यकता के रुप में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा भंडार, कर्मशाला, कर्मचारी क्वार्टर तथा अन्य जनोपयोगी सुविधाओं का निर्माण किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा जारी दिनांक 29.05.1989 के कार्यालय आदेश संख्या 585/ टिहरी डेम प्रोजेक्ट/23– सी–4/टी –18 पर निर्भर रहते हुए (टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के पक्ष में सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियों को अंतरित करने के लिए जारी) कंपनी ने उक्त परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रक्रियाधीन औपचारिकताओं के पूरा होने पर पट्टा विलेख कार्यान्वित किया जाना है।

(iii) टिहरी पीएसपी के उत्खनित मक के पाटन के लिए टीएचडीसीआईएल ने पारस्परिक बातचीत के आधार चोपड़ा गाँव में 5.974 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है। उक्त भूमि में से 5.217 हेक्टेयर भूमि का हक विलेख कंपनी के वर्तमान नाम में कर दिया गया है। शेष भूमि के हक विलेख का नामांतरण करने की कारवाई चल रही है।

6. कंपनी द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि पर निर्मित किए गए 21 फ्लैट (गत वर्ष 24 फ्लैट) जिनका निवल मूल्य 5 लाख रू. (पिछले वर्ष 6 लाख रू.) है विभिन्न लोगों के अनाधिकृत कब्जे में है। फ्री होल्ड भूमि में सौटियाल गांव में स्थित 0.458 हेक्टेयर की भूमि भी शामिल है जिस पर अनाधिकृत लोगों ने कब्जा कर रखा है।

7. (i) कंपनी के नियंत्रण के बाहर विभिन्न कारकों के जैसे प्रतिकूल भूगर्मीय स्थिति, स्थानीय लोगों द्वारा काम बंद करवाने और ठेकेदार एचसीसी के वित्तीय संकट के कारण वीपीएचईपी परियोजना के कार्य की गति धीमी बनी रही। जिससे अपेक्षित स्तर तक काम नहीं किया जा सका। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार का बोर्ड ने मेमर्स एचसीसी को अंतराल निधियम (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

उपरोक्त कारणों से 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक से 140.95 मिलियन अमेरिकी डालर आहरित किए जा चुके है जबकि संस्वीकृत ऋण 648 मिलियन अमेरिकी डालर का था । डालर की परिवर्तन दर में बदलाव के कारण कंपनी के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि निरस्त कर दी गई है। इसलिए वित्तीय के लिए उपलब्ध राशि 548 मिलियन अमेरिकी डालर है। विश्व बैंक ने जून 2021 तक वितरण समय सूची बढ़ा दी है। तथापि चुकौती की हुई मूल संविदा शर्तो के अनुसार डेबिट सर्विसिंग की गई है।

(ii) कंपनी के नियंत्रण से बाहर विभिन्न कारकों जैसे कि प्रतिकूल भूगर्भीय स्थिति, असेना खदान के लिए अनुमति में देरी, निर्दिष्ट डंपिंग क्षेत्र में मलबा डालने में अवरोध तथा सिविल ठेकेदार मैमर्स एचसीसी लि. इत्यादि के साथ नकदी संकट के कारण कार्य की प्रगति अपेक्षित स्तर तक नही हुई। ठेकेदार के घोर वित्तीय संकट पर विचार कर बोर्ड ने मैसर्स एचसीसी को अंतराल निधियन (गैप फंडिग) के लिए वित्तीय प्रबंधन को अनुमोदित कर दिया है ताकि वीपीएचईपी परियोजना को शीघ्र पूरा किया जा सके।

(iii) 1320 मेगावाट के उ.प्र. के बुलदशहर जिले में खुर्जा एसटीटीपी और मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में अमेलिया कोयला खदान के लिए क्रमशः 1108942 लाख रू और 158716 लाख रू (दिसंबर 17 के मूल्य स्तर पर) निवेश मंजूरी 07.03.2019 प्रदान की गई है। परियोजना वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कमीशन किए जाने की संभावना है।

(iv) ढुकवां लघु जल विद्युत परियोजना की 24 मेगावाट (8 मेगावाट x 3) की तीन इकाईयां पूरी हो गई है। क्रमशः 05.01.2020, 09.01.2020 और 12.01.2020 को ट्रायल रन किया गया है। तदनुसार परियोजना का पूंजीकरण किया गया है। परियोजना के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख अर्थात दिनांक 13.01.2020 तक उत्पादित 26,48,760 यूनिट अस्थिर ऊर्जा को बिल में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि एसईआरसी/यूपीपीसीएल द्वारा अस्थिर ऊर्जा की दरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

8. (i) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 27.03.2020 के परिपत्र संख्या आरबीआई 2019/186 डीओआर सं.बीपीवीसी/21.04.048/2019/20 द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को 01 मार्च से 31 मार्च, 2020 के बीच तीन माह तक सभी भुगतानों, किश्तों और उन पर अर्जित ब्याज पर अधिस्थगन देने की अनुमति दी है। टीएचडीसी ने पंजाब नेशनल बैंक से लिए गए अल्पावधि ऋण और मध्यावधि ऋण तथा भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी के लिए अधिस्थगन सुविधा प्राप्त की है। तदनुसार, किश्तों के लिए देय 3500 लाख रू. और ब्याज के लिए देय 506 लाख रू. की राशि को चालू वित्तीय देयताएं–अन्य में दर्शाया गया है जैसा कि टिप्पणी संख्या 26 से विदित होता है।

(ii) भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच दिनांक 25.03.2020 को शेयर खरीद करार (एसपीए) निष्पादित किया गया है। भारत सरकार की इक्विटी, जिसमें एनटीपीसी के नामितियों के शेयर भी शामिल हैं की रणनीतिक बिक्री के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्रदान कर दिया है। तदनुसार भारत सरकार की 273094 लाख की इक्विटी जो कुल इक्विटी के 74.496 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। दिनांक 27.03.2020 को मैसर्स एनटीपीसी को हस्तांतरित कर दी गई है। इसको देखते हुए टीएचडीसीआईएल मैसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के साम्या (इक्विटी) निषेचन के रूप में दिनांक 26.03.2020 को टीएचडीसी के 1400 लाख रू. प्राप्त हुए है। तथापि, उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर निर्णय किए जाने के लिए दिनांक 4.5.2020 के पत्र सं.टीएचडीसी/आरकेएसएच/वित्त/बजट/एफ–डी–3/62 द्वारा मामले को भारत सरकार को भेजा गया है और भारत सरकार से प्राप्त इस राशि को भारत सरकार से प्राप्त जमा माना गया है और टिप्पणी संख्या 27 के अनुसार अन्य चालू देयताओं में दर्शाया गया है।

9. इंड एएस 24 के अंतर्गत प्रकटन "सम्बद्ध पक्षकार प्रकटीकरण"

सम्बद्ध पक्षकारों की सूची

(i) संरक्षक

कंपनी / संस्था का नाम	प्रचालन का प्रमुख स्थान
एनटीपीसी लिमिटेड	भारत
उत्तर प्रदेश सरकार	भारत

(ii) संयुक्त उद्यम: शून्य

(iii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

क्र.सं.	नाम	धारित पद	अवधि
1	श्री डी. वी. सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	पद पर बने हुए हैं
2	श्री एच. एल. अरोड़ा	निदेशक (तकनीकी)	31.08.2019 तक
3	श्री विजय गोयल	निदेशक (कार्मिक)	पद पर बने हुए है
4	श्री जे. बेहरा	निदेशक (वित्त)	16.08.2019 से
5	श्री आर. के. विश्नोई	निदेशक (तकनीकी)	01.09.2019 से
6	सुश्री रश्मि शर्मा	कंपनी सचिव	पद पर बनी हुई हैं

(iv) रोजगार पश्चात हितलाभ योजनाएं

सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	**प्रचालन का प्रमुख स्थल**
टीएचडीसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल कर्मचारी परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता पेंशन न्यास	भारत
टीएचडीसीआईएल सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा निधि न्यास	भारत

(v) अन्य

सेवा टीएचडीसी, कंपनी द्वारा प्रायोजित एक लाभ निरपेक्ष सोसाइटी, जिसका पंजीकरण कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को संचालित करने के लिए सोसाइटी अधिनियम,1860 के अंतर्गत किया गया है।

संवद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार का सारांश (संविदा दायित्वों को छोड़कर– सीएसआर गतिविधियों के लिए सेवा–टीएचडीसी को 2148 लाख रू. वितरित किए गए।

(vi) कंपनी के साथ संयुक्त नियंत्रण वाली या उल्लेखनीय प्रभाव वाली अन्य संस्थाएं

कंपनी, दिनांक 27.03.2019 से सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रम की सहायक कंपनी है जिसके अधिकांश शेयरों का धारक होने के कारण केन्द्र सरकार नियंत्रक है। इंड एएस–24 के पैराग्राफ 25 और 26 के अनुसरण में जिन संस्थाओं पर उसी सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या उल्लेखनीय प्रभाव होता है तो रिपोर्ट करने वाली तथा अन्य संस्थाओं को सम्बद्ध पक्षकार माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संवद्ध संस्थाओं के उपलब्ध छूट का प्रयोग किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटन किया है।

सरकार के साथ संबध का नाम और प्रकृति

क्र.सं.	सम्बद्ध पक्षकारों के नाम	सम्बध की प्रकृति
1.	भारत सरकार	कंपनी पर नियंत्रण रखने वाली धारक कंपनी में शेयर होल्डर
2.	एनटीपीसी लिमिटेड	धारक कंपनी (74.4960 प्रतिशत)
3.	उत्तर प्रदेश सरकार	शेयर होल्डर (25.504 प्रतिशत)

(i) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

कंपनी का नाम	कंपनी द्वारा /संव्यवहार की प्रकृति	को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
एनटीपीसी	परामर्शी सेवा	1,371	285
भेल	उपस्कारों और स्पेयर की खरीद	8,099	335
आईओसीएल	ईधन की खरीद	232	280
बीपीसीएल	ईधन की खरीद	58	62
पीजीसीआईएल	पावर लाइन डायवर्जन	32	1,996
सीएमपीडीआईएल	परामर्शिता	163	11
यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड एनटीपीसी और रिलायंस का संयुक्त उद्यम	जनशक्ति की आपूर्ति	52	37
बीईएमएल	स्पेयरों की खरीद	0.00	73
अन्य	परामर्शिता, साफ्टवेयर आदि	90	26

(ii) कार्यात्मक निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को प्रतिपूर्ति: स्वतंत्र निदेशकों के शुल्क और व्यय सहित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक और भत्ते, अन्य हित लाभ और व्यय 429 लाख रू. (पिछले वर्ष 365 लाख रू.) है।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.02.2019 को समाप्त वर्ष
1	अल्पकालिक कर्मचारी हित लाभ	372	330
2	सेवानिवृत्ति के पश्चात और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ	57	35.00
3	सेवांत लाभ		0
4	शेयर आधारित भुगतान		0
	जोड़	**429**	**365**

(iii) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ बकाया शेष इस प्रकार है:

(राशि लाख ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
		31.03.2020	31.03.2019
1	वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद के लिए वसूलनीय राशि		
	एनटीपीसी से	शून्य	शून्य
	जोड़	**0**	**0**

(iv) संबद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार की निबंधन और शर्तें

(क) सम्बद्ध पक्षकारों के साथ संव्यवहार सामान्य वाणिज्यिक निबंधनों और शर्तों पर और बाजार दरों पर किया जाता है।

(ख) कंपनी ने दिनांक 27.03.2020 को भारत सरकार की इक्विटी को मैसर्स एनटीपीसी को रणनीतिक बिक्री की जाने से पूर्व खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की परामर्शिता सेवा पारस्परिक विचार–विमर्श के बाद और मौजूदा बाजारी स्थितियों को ध्यान में रखने के बाद लागत जमा आधार पर संरक्षक कंपनी को सौंपा है।

10) प्रति शेयर आय (ईपीएस) – बेसिक और तनुकृत

प्रति शेयर आय की गणना के लिए विचार किए जाने वाले तत्व (बेसिक और तनुकृत) इस प्रकार हैं:

	2019-20	2018-19
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है। (लाख ₹)	87,919	1,17,752
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है। (लाख ₹)	92,025	1,18,991
इक्विटी शेयरों की औसत भारित संख्या जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है।	बेसिक : 3,66,31,822.46 तनुकृत: 3,66,42,751.43	बेसिक : 3,64,60,777.55 तनुकृत: 3,64,64,058.37
प्रति शेयर आय रूपये बेसिक जिसमें विनियामक आय तनुकृत शामिल नहीं हैं। ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 240.01 239.94	 322.96 322.93
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है ₹ बेसिक ₹ तनुकृत	 251.22 251.14	 326.35 326.32
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹	₹ 1,000	₹ 1,000

11. (क) आय कर व्यय

(i) लाभ हानि के विवरण में मान्य किया गया आयकर

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
चालू कर व्यय		
चालू वर्ष	17,181	32,275
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजन	0.00	0.00
विनियामक आस्थगित लेख शेष से संबंधित (क)	(869)	(1,616)
कुल चालू का व्यय (ख)	16,312	30,659

(ख) विनिवेश विभाग और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिनांक 13.03.2020 के पत्र संख्या एफ सं. 3/16/2019 डीआईपीएम के अनुसरण में निदेशकों ने 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार शून्य (31 मार्च, 2019 12600 लाख रू.) लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। इस लाभांश पर लाभांश वितरण कर शून्य लाख (31 मार्च, 2019: 2590 लाख) को मान्य नहीं किया गया है क्योंकि यह प्रस्तावित लाभांश, आगामी आम सभा की बैठक में शेयरहोल्डरों के अनुमोदन के अधीन है।

(ग) भविष्य में कंपनी को एमएटी क्रेडिट उपलब्ध है परंतु मान्य नहीं है।

भविष्य में कंपनी को उपलब्ध परंतु 31 मार्च, 2020 को मान्य नहीं एमएटी क्रेडिट 71291 लाख रू. (31 मार्च, 2019–71291 लाख रू.) है।

ii) कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी इंड एएस 12 आयकर के अनुसरण में 4867 लाख रू. की आस्थगित कर परिसंपत्ति (पिछले वर्ष 6572 लाख रू.) में निवल वृद्धि को लाभ हानि विवरण में बुक किया गया है।

(राशि लाख ₹ में)

क्र. सं.		31.03.2020	31.03.2019
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)		
i)	बढ़ी मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	76,302	68,374
ii)	प्रारंभिक भारतीय लेखांकन मानक समायोजन	487	487
iii)	ओसीआई को वर्गीकृत बीमांकित लाभ/हानि	-202	234
iv)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को हर गणना में आय के रूप में माना जाए	6,837	6,837
v)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	8,418	10,007
vi)	कर्मचारी हितलाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	5,104	6,140
	कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (क)	**96,946**	**92,079**
	आस्थगित कर देयता (ख)		
i)	बही मूल्यह्रास तथा कर मूल्यह्रास का अंतर	3,572	3,572.00
ii)	मूल्यह्रास के बावत अग्रिम को कर गणना में आय के रूप में माना जाए	-472	-472.00
iii)	संदिग्ध ऋणों एवं भंडार के लिए प्रावधान	-1	-1.00
iv)	कर्मचारी हित लाभ योजनाओं के लिए प्रावधान	-124	-124.00
	कुल आस्थगित कर देयता (ख)	**2,975**	**2,975**
	निवल आस्थगित कर (देयता) (परिसंपत्तियां) (क)–(ख)	**93,971**	**89,104**

12. (i) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रकटन

(क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत टीएचडीसीआईएल के सीएसआर दायित्वों को हाथ में लेने के लिए कंपनी प्रायोजित सेवा–टीएचडीसी, लाभ निरपेक्ष, सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, के माध्यम से व्यय किए गए सीएसआर खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है–

(राशि लाख ₹ में)

क्रम सं.	सीएसआर व्ययों के लिए गठित व्यय–शीर्ष	राशि
01	स्वच्छता, स्वास्थ्य देखभाल, पेय जल	457
02	(i) शिक्षा एवं कौशल विकास	647
	(ii) आजीविका कार्यक्रम	322
03	सामाजिक कल्याण	32
04	वन एवं पर्यावरण, पशु कल्याण आदि	39
05	कला एवं संस्कृति, सार्वजनिक पुस्तकालय	206
06	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	119
07	खेलकूद को बढ़ावा	8
08	आपदा प्रबंधन	225
09	अन्य	107
	जोड़	**2,162**

"टीएचडीसीआईएल के रू 2148 लाख के योगदान तथा वर्ष के दौरान ब्याज की आय रू 14 लाख से 'सेवा' द्वारा किया गया व्यय।

(ख) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधान के अनुसार 2148 लाख रू (गत वर्ष 1735 लाख रूपए) की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के रूप में रू 2148 लाख (गत वर्ष 1735 लाख रू) की राशि खर्च की, जो पूर्ववर्ती 3 वित्त वर्षों के औसत निवल लाभ 2% के बराबर है।

(ग) वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान नकद रूप में और नकद रूप में भुगतान किये जाने वाले व्यय तथा व्यय की प्रकृति सहित व्यय (पूँजी या राजस्व) का ब्यौरा:

(राशि लाख ₹ में)

		नकद रूप में	भुगतान किया जाना है	जोड़
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	0.00	0.00	0.00
(ii)	क्रम सं (i) से इतर अन्य प्रयोजन के लिए	2,148		2,148

(ii) अनुसंधान और विकास से सम्बंधित प्रकटन:

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आरएंडडी योजना के अनुसार अनुसंधान और विकास पर 612 लाख (पूँजी– 132 लाख रु और राजस्व 480 लाख रु.) (गत वर्ष 433 लाख रु.) (पूँजी–174 लाख रु. राजस्व 259 लाख रु.) व्यय किए हैं

13. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमइसएमईडी अधिनियम), 2006 के अंतर्गत पंजीकृत अपेक्षित 31 मार्च, 2020 को सूक्ष्म और लघु उद्यम के संबंध में सूचनाएं तथा उक्त बकाया 45 दिनों से कम का है।

(राशि लाख ₹ में)

	2019-2020	2018-2019
क. किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने में शेष राशि		
i) मूल धन	71	43
ii) उस पर ब्याज	0	0
ख. एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि	0	0
ग. देय ब्याज की राशि और भुगतान किए जाने में देय होने की अवधि के दौरान प्रतिदेय जिसका वर्ष के दौरान भुगतान किया जा चुका है परंतु नियत तारीख के बाद परंतु एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्याज नहीं जोड़ा गया हो।	0	0
घ. प्रोद्भूत ब्याज की राशि जिसका भुगतान नहीं किया जा सका	0	0
ड. अतिरिक्त ब्याज की देय राशि जो उत्तरवर्ती वर्षों में उस तारीख तक प्रतिदेय जब उपरोक्त देय ब्याज का भुगतान एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में नामंजूरी के प्रयोजन से किया गया हो।	0	0

14. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष एवं 01 अप्रैल, 2018 के अनुसार पुनर्अभिकथन

31 मार्च, 2019 को वर्ष के लिए 01 अप्रैल, 2019 को पुनः कथन इंड एएस 8 "लेखांकन नीतियां, लेखांकन नीतियों और त्रुटियों में परिवर्तन" और इंड एएस 01" वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण" के अनुसार टीएचडीसी ने नीचे दिये गए कारणों से 31 मार्च, 2019 और 01 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (पूर्ववर्ती वर्ष की शुरुआत) तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रभाव से पुनः कथित किया है। पूर्वव्यापी प्रभाव से पुनः कथित वित्तीय विवरणों का समाधान नीचे दिया है:

31 मार्च 2019 और 01 अप्रैल, 2018 को समेकित तुलन–पत्र की पुनर्कथित मदों का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2019			01 अप्रैल, 2018		
		जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा कहा गया है	जैसा पहले रिपोर्ट किया है	समाधान	जैसा पुनः कहा गया है
विनियामक आस्थगित लेखा–क्रेडिट शेष	30	6,313	50,684	56,997	6,313	44,757	51,070
अन्य इक्विटी	20	5,62,590	-50,684	5,11,906	4,88,384	-44,111	4,44,272
सीडब्ल्यूआईपी	3	4,55,714	-1,280	4,54,434	3,94,994	646	3,95,640
विनियामक आस्थगित लेखा–डेविट शेष	18	7,501	1,280	8,781			

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण की पुनः कथित मदों का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
कुल व्यापक आय		1,25,160	-6,572	1,18,588
वित्तीय लागत*	34	17,568	1,926	19,495
कारपोरेट कर		32,275	-1,616	30,659
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन (निवल ककर)	38	7,501	6,262	1,239

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के विवरण का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
प्रचालक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		1,51,162	-9,427	1,41,735
वित्तीय लागत*		17,568	1,926	19,495
(विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन निवल कर)		7,501	-6,262	1,239
विनियामक आस्थगित लेखा शेष में निवल संचलन पर कर		0	1,616	(1,616)
पीपीई और सीडब्ल्यूआईपी		73,416	-1,930	7,1486
कारेपोरेट कर		32,275	-1,616	30,659

(*) ₹ 459 लाख रू. के पुनः समूहन को छोड़कर

प्रति शेयर आय का समाधान

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	जैसा पहले रिपोर्ट किया गया है	समाधान	जैसा पहले पुनः कहा गया है
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल नहीं है	1,18,062	-310	1,17,752
करोपरांत निवल लाभ जिसमें न्यूमरेटर के रूप में प्रयुक्त विनियामक आय शामिल है।	1,25,563	-6,572	1,18,991
इक्विटी शेयरों की औसत भारित सं. जिन्हें डिनोमीनेटर के रूप में प्रयोग किया गया है			
बेसिक	3,64,60,777.55		3,64,60,777.55
तनुकृत	3,64,64,058.37		3,64,64,058.37
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल नहीं है			
₹ बेसिक	323.81		322.96
₹ तनुकृत	323.78		322.93
प्रति शेयर आय जिसमें विनियामक आय शामिल है			
₹ बेसिक	344.38		326.35
₹ तनुकृत	344.35		326.32
प्रति शेयर अंकित मूल्य	₹ 1,000		₹ 1,000

टिप्पणियां

विनियामक अस्थगित लेख शेषः

कंपनी ने हमारी पैतृक कंपनी एनटीपीसी द्वारा किए गए व्यवहार से संलग्न होने के लिए आस्थगित कर लेखांकन और वर्गीकरण से जुड़ी लेखांकन नीति में परिवर्तन कर दिया है। तदनुसार विनियामक आस्थगित लेखा शेष 2014–15 से सृजित आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि में उस सीमा तक जमा किया जाता है जिस सीमा तक यह भावी वर्षों के कर का भाग बनता है और आरओई की संगणना को प्रभावित करता है जो सीईआरसी विनियम के अनुसार प्रशुल्क संगणना का एक तत्व है।

एफईआरवी (विदेशी विनियम दर भिन्नता) व्यवहार–सीडब्ल्यूआईपी से विनियामक परिसंपत्तियों में पुनः वर्गीकरण

कंपनी ने पैतृक कंपनी द्वारा किए गए व्यवहार से संलग्न होने के लिए एफईआरवी के व्यवहार से जुड़ी लेखांकन में परिवर्तन कर दिया है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के समाधान/रूपांतरण से उत्पन्न होने वाले विनिमय दर, जिस सीमा तक यह सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार उत्तरवर्ती अवधियों में लाभग्राहियों से वसूलनीय या उन्हें प्रतिदेय हो को निर्माण अवधि के दौरान विनियामक आस्थगित लेखा शेष में क्रेडिट/डेविट द्वारा विनियामक आस्थगित लेखा डेविट/क्रेडिट शेष के रूप में बिना किसी छूट आधार पर अब मान्य किया जाता है, जिसका समाधान उस वर्ष से किया जाता है जिसमें वह लाभग्राहियों से वसूलनीय या उन्हें प्रतिदेय हो जाती है।

उपरोक्त के परिणामस्वरुप

– विनियामक आस्थगित लेखा–क्रेडिट शेष अन्य इक्विटी में समनुरूपी ह्रास के साथ निम्नानुसार बढ़ा है।

01 अप्रैल, 2018 को– 44757 लाख

31 मार्च, 2019 को– 50683 लाख

इसके अतिरिक्त, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आस्थगित कर के कारण विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन लाभ में समनुरूपी ह्रास के साथ लाभ और हानि खाता विवरण में 4868 लाख रू. की वृद्धि हुई है सीडब्ल्यूआईपी में समनुरूपी ह्रास (वृद्धि) के साथ विनियामक आस्थगित खाता

डेबिट शेष बढ़ा है/(घटा है)।

01 अप्रैल, 2018 को– (646 लाख रू.)

31 मार्च, 2019 को– (1280 लाख रू.)

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एफईआरवी के कारण विनियामक आस्थगित खाता शेष में निवल संचलन, वित्तीय लागत में समनुरूपी वृद्धि में 4591 लाख रू. की वृद्धि हुई है।

15. इंड एएस 116 पट्टे के अनुसार प्रकटन

(क) इंड एएस 116 को संक्रमण

(क) 01 अप्रैल, 2019 से कंपनी ने इंड एएस 116 पट्टे, को अपनाया और 01 अप्रैल, 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदाओं पर संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का प्रयोग कर मानकों का अनुप्रयोग किया। तदनुसार, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनाओं को पुनः नहीं कहा गया है। आरंभिक आवेदन के दिन कंपनी ने शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य के पट्टा दायित्व को रिकार्ड किया जिस पर आरंभिक आवेदन की तारीख को वृद्धि मान उधारी दर पर छूट दी गई थी तथा पट्टे पर पूर्व भुगतान या उपार्जित भुगतानों की राशि के लिए समनुरूपी संपत्ति के अधिकार के प्रयोग को समायोजित किया गया था।

(ख) कंपनी ने इंड एएस 116 पर निम्नलिखित व्यावहारिक औचित्य का अनुप्रयोग किया है।

(i) समान समाप्ति की तारीख को समान आर्थिक माहौल में समान परिसंपत्तियों के पट्टो के पोर्टफोलियों पर एकल छूट दर लागू किया।

(ii) आवेदन की आरंभिक तारीख को कम मूल्य के पट्टों और 12 माह से कम पट्टा अवधि के पट्टों के लिए परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार को मान्य न करने हेतु छूट के लिए आवेदन किया।

(iii) आवेदन की आरंभिक तारीख को परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार के मापन से आरंभिक लागतों, यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया।

(iv) व्यावहारिक औचित्य का प्रयोग करने के लिए चुना गया था, जिस मानक का अनुप्रयोग उन संविदाओं पर नहीं किया जाना था जिन्हें ऐसे पट्टे के रूप में पहचान की गई थी जिसमें इंड एएम 17 शामिल था। तदनुसार इंड एएस 116 केवल उन्हीं संविदाओं पर लागू किया जाता है जिनकी पहचान इंड एएस 17 के अंतर्गत पट्टा के रूप में की गई थी।

(v) यदि संविदा में पट्टे को बढ़ाने या समाप्त करने का विकल्प हो तो पट्टा अवधि का निर्धारण करने के लिए हिंड साइट का प्रयोग किया।

(ग) इंड एएस 116 में संक्रमण पर कंपनी ने पट्टा देयताओं और 4314 लाख की परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार की समकक्ष राशि को मान्य किया है। इसके अतिरिक्त के 4182 लाख के मूल्य को भूमि, भवन, संयंत्र और उपस्कर तथा वाहनों को वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है और तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रस्तुत किया है।

(घ) एएस 116 में संक्रमण होने पर भारित औसत वृद्धिमान उधार दर जिसे इन पट्टा देयताओं पर लागू किया गया था। इंड एएस के अंतर्गत किया गया था 8.75 प्रतिशत है।

(ड.) दिनांक 01 अप्रैल, 2019 को पट्टा देयताएं 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार प्रचालन पट्टों में समायोजित की जा सकती है।

विवरण	राशि
31 मार्च, 2019 को प्रचालन पट्टा प्रतिबद्ध ताएं (गैर–निरस्तणीय पट्टों के संबंध में भावी न्यूनतम पट्टा भुगतान)	शून्य
घटाएंः उपरोक्त पर छूट का प्रभाव	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को छूट प्राप्त मान्यता पट्टा देयताएं	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को छूट प्राप्त मान्य पट्टा देयताएं (31 मार्च, 2019 को निरस्तणीय पट्टा प्रतिबद्धताओं के संबंध में	शून्य
01 अप्रैल, 2019 को मान्य कुल पट्टा देयताएं	शून्य

** पट्टा देयता, 31 मार्च, 2019 को निरस्तरणीय पट्टा प्रतिबद्धताओं से संबंधित है जिन्हें पूर्ववती इंड एएस 17 के अंतर्गत प्रकटन नहीं किया जाना था।

(ख) पट्टेदार के रूप में कंपनी

(i) कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा प्रबंधन निम्नलिखित परिसंपत्तियों के संबंध में है:

(क) कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसर कार्यालय और अतिथि गृह/ट्रांजिट कैंप और पट्टे पर जिन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता है और जो आमतौर पर पारस्परिक सहमत शर्तों पर नवीकरणीय हैं।

(ख) कंपनी ने कुछ वाहन (इनमें इलेक्ट्रिकल वाहन शामिल नहीं है) तीन माह के लिए पट्टे पर लिए हैं जिन्हें परस्पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाया जा सकता है। करार की शर्तों के अनुसार पट्टे के रैंटल में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है तथापि, कंपनी के पास पट्टा अवधि के अंत में ऐसे वाहनों को खरीदने का विकल्प है।

(ग) कंपनी सरकारी प्राधिकरणों से आमतौर पर 05 वर्षों से 99 वर्षों के लिए लीज होल्ड आधार पर भूमि अधिग्रहित कर सकती जिसे परस्पर सहमत शर्तों पर आगे और बढ़ाया जा सकता है। इन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। इन पट्टों को कुल न्यूनतम पट्टों भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पंजीकृत किया जाता है जिन्हें पट्टा अवधि पर चुकाया जाता है। भावी पट्टा रेंटलों को उनके वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयताओं के रूप में मान्य किया जाता है। कंपनी की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विचार कर भूमि के प्रयोग के अधिकार को परिशोधित किया जाता है।

उपरोक्त (ख) और (ग) के पट्टों के संबंध में परिसंपत्ति के प्रयोग के अधिकार की उठाव राशि आरंभिक आवेदन की तारीख को पट्टा देयता को उस तारीख से ठीक पहले की पट्टा परिसंपत्ति और पट्टा देयता की उठाव लागत होती है जिसे इंड एएस 17 का अनुप्रयोग कर मापा जाता है।

(ii) निम्नलिखित अवधि के दौरान मान्य पट्टा देयताओं और संचलनों की उठाव राशियां हैं:

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आदि शेष	0.00
–पट्टा देयताओं में वृद्धि	4,314
– वर्ष के दौरान ब्याज लागत	152
–पट्टा देयताओं का भुगतान	2,878
–अंत शेष	1,588
–चालू	562
–गैर–चालू	1,026

(iii) पट्टा देयताओं का परिपक्वता विश्लेषण:

(राशि लाख ₹ में)

संविदा आधार वाले छूट रहित नकदी प्रवाह	31 मार्च, 2020 को
3 माह या कम	170
3–12 माह	506
1–2 वर्ष	602
2–5 वर्ष	213
5 वर्ष से अधिक	789
31 मार्च, 2020 को पट्टा देयताएं	2,280

(iv) निम्नलिखित राशियों को लाभ या हानि में मान्य किया गया है।

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार के लिए मूल्यह्रास	882
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	152
अल्पकालिक पट्टों से जुड़े व्यय	279

(v) निम्नलिखित धनराशियां नकदी प्रवाह के लिए है

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को
पट्टों के लिए वाहा नकदी प्रवाह	2,878

16. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में परिवर्तनों का प्रभाव

क्र. सं.	नीति में संशोधन	प्रभाव/अभ्युक्ति
1.	लेखांकन नीति 7.1 को पैतृक कंपनी से संलग्न किया गया है और निम्नानुसार संशोधन किया गया है: कंपनी ने इंड एएस 101 के अंतर्गत प्राप्त छूट, दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देयताओं के परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर के लेखांकन की नीति को जारी रखने के लिए पहली बार इंड एएस को अपनाने को जारी रखा। तदनुसार, मौद्रिक मदों के समाधान या परिवर्तन होने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरो को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया गया है जिस वर्ष वे उत्पन्न हुई हों। परंतु अपवाद यह है कि 31 मार्च, 2016 तक मान्य संपत्ति संयंत्र और उपस्कर के अधिग्रहण से जुड़ी दीर्घकालिक मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतरों को पीपीई के उठाव लागत में मान्य किया गया है।	1280 लाख रू. की निर्माण योजनाओं की एफईआरवी के कारण वित्त लागत लाभ और हानि खाते के माध्यम से सीडब्लूआईपी से विनियामक आस्थगित खाता शेष में परिवर्तित किया गया है
2.	लेखांकन नीति सं. 19.8 में कंप्यूटर साफ्टवेयर के परिशोधन के संबंध में शब्द 'पांच वर्षों' के स्थान पर तीन वर्ष रखा गया है ताकि नीति को पैतृक कंपनी एनटीपीसी के साथ संलग्न किया जा सके।	मूल्यह्रास अमूर्त परिसंपत्ति साफ्टवेयर के डब्ल्यूडीवी में ह्रास के समनुरूपी 43 लाख रू. का मूल्यह्रास बढ़ाया गया है।
3.	पट्टे से संबंधित लेखांकन नीति 21 में पट्टा लेखांकन से जुड़ा इंड एएस 116 अनुपालनार्थ शुरु किया गया है।	➢ लीज होल्ड भूमि को प्रयोग के अधिकार से प्रतिस्थापित किया गया है और 35176 लाख रू. की प्रयोग के अधिकार के अंतर्गत आने वाली परिसंपत्ति समनुरूपी देयताओं के बही खाते में शामिल की गई है। ➢ इन अतिरिक्त परिसंपत्तियों की परिशोधित राशि 614 लाख रू. है जबकि वार्षिक रेंटल 2861 लाख रू. था जिसे पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार व्यय में बुक किया गया होता।
4.	आस्थगित कर से जुड़ा लेखांकन नीति 22.2.3 का दूसरा पैरा निम्नानुसार संशोधित किया गया है: चालू अवधि के लिए आस्थगित कर, जिस सीमा तक यह भावी वर्ष में चालू वर्ष का भाग बनता है और इक्विटी पर प्रतिफल की संगणना (आरओई) को प्रभावित करता है, जो सीईआरसी के अनुसार प्रशुल्क गणना का तल है, को विनियामक आस्थगित लेखा, शेष में जोड़ा/घटाया जाता है।	विनियामक आस्थगित खाते में 50684 लाख रू. की वृद्धि और अन्य इक्विटी में समनुरुपी कमी (आरक्षिती और अधिशेष)
5.	नई लेखांकन नीति/मौजूदा लेखांकन नीति की नीति सं. 1.1,1.2,1.3, 3.3, 3.4, 3.7, 4.2, 4.7, 5.1, 10, 13.1, 15.8, 15.11, 17.2, 18.1, 18.2, 19.2, 19.7, 22.1, 22.2.4, 26, 27.1 और 28.1 में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और 2018–19 की नीति संख्या 4.2 को हटा दिया गया है ताकि नीतियों को पैतृक कंपनी से संलग्न किया जा सके और प्रकटन में सुधार किया जा सके।	इन परिवर्तनों के कारण कोई वित्तीय प्रभाव नहीं।

17. इंड एएस 19 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी हित लाभ के संबंध में प्रकटन इस प्रकार है:

(क) परिभाषित अंशदान योजना–पेंशन

कंपनी में विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू है। इसके लिए देयता प्रोद्भवन आधार पर मान्य की जाती है। इस योजना को एक पृथक न्यास द्वारा धन प्रदान किया जाता है तथा उसी न्यास के द्वारा प्रबंधन भी किया जाता है। इस न्यास की स्थापना इसी प्रयोजन से की गई है।

(ख) परिभाषित हितलाभ योजनाएं:

(i) भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दर पर एक पृथक न्यास को भविष्य निधि के निश्चित अंशदान का भुगतान करती है जो निवेश को अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में लगाता है। कंपनी का दायित्व ऐसे निर्धारित अंशदान तथा सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चित करने तक सीमित है। बीमांकित मूल्यांकन 373 लाख रु (गत वर्ष शून्य) के आधार पर चूँकि योजनागत परिसम्पत्तियों का अंकित मूल्य दायित्व के वर्तमान मूल्य 4969 लाख रु. से 373 लाख रु (गत वर्ष शून्य) अधिक हो जाता है इसलिए इसे लेखा–बही में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी पेंशन योजना के अंशदान का भुगतान उपयुक्त प्राधिकारियों को किया जाता है।

(ii) उपदान (ग्रेच्युटी)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ–उपदान योजना है जिसे उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। इसकी देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य होती है।

(iii) छुट्टी का नकदीकरण:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की एक परिभाषित लाभ–छुट्टी की नकदीकरण योजना है। इस योजना के अंतर्गत वे कुछ सीमाओं और इस निमित विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित छुट्टियों और चिकित्सा अवकाश का नकदीकरण करने के लिए हक़दार हैं। छुट्टी के नकदीकरण के लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती है।

(iv) सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):

कंपनी की एक सेवानिवृत कर्मचारी स्वास्थ्य स्कीम है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत कर्मचारी, जीवनसाथी और कर्मचारी के पात्र माता–पिता को कंपनी के अस्पतालों/पैनलबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बहिरंग रोगी के रूप में भी अपना ईलाज करवा सकते हैं। इसकी देनदारी, बीमांकिक आधार पर मान्य होती है। इसके अतिरिक्त, स्कीम का प्रबंधन करने के लिए एक न्यास स्थापित किया गया है।

(v) अन्य प्रतिलाभ (असबाब/ एलएसए/ एफबीएस) योजनाएं:

सेवानिवृत्ति की अन्य लाभ योजनाओं में अपनी इच्छा से किसी भी स्थान पर बसने के लिए असबाब भत्ता, सेवानिवृत्ति के समय स्मृति चिह्न और मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से निःशक्त होकर अलग हो जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में उसके उत्तराधिकारी / उत्तराधिकारियों को मौद्रिक सहायता शामिल है। इन स्कीमों को निधियां प्रदान नहीं की जाती और इसके लिए देनदारी बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मान्य की जाती हैं।

31.03.2020 को किए गए बीमांकिक मूल्यांकन का प्रयोग कर चालू अवधि के लिए कर्मचारियों के हित का प्रावधान किया गया है। तद्नुसार ''कर्मचारियों के हित'' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक 19 के प्रावधानों के तहत 31.3.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए प्रकटीकरण नीचे दिया गया है।

सारणी –1 निम्नलिखित पर बीमांकित मूल्यांकन के लिए प्रमुख बीमांकित अनुमान

विवरण	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
मृत्यु सारणी	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)	आईएएलएम (2006-08)
छूट की दर	6.75%	7.75%	7.60%	7.50%	7.75%
भावी वेतन वृद्धि	6.5%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%

जोखिम अनावरण (एक्सपोज़र) का ब्यौराः मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित होता है जो गतिशील प्रकृति के होते है और समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए कम्पनी को निम्नलिखित अनेक जोखिमों का सामना करना पड़ता है।

(क) वेतन वृद्धि–वेतन में वास्तविक वृद्धि होने पर योजना की देनदारी बढ़ जाती है। वेतन में वृद्धि से भावी मूल्यांकनों में दर अनुमान बढ़ जाता है जिससे देनदारी भी बढ़ जाती है।

(ख) निवेश जोखिम– यदि योजना को निधियां प्रदान की जाती हैं तो परिसम्पत्तियों की देनदारियां बेमेल हो जाती है और परिसम्पत्तियों पर अंतिम मूल्यांकन की तारीख़ को अनुमानित छूट दर से कम निवेश प्रतिफल होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) छूट दर– उत्तरवर्ती मूल्यांकनों में छूट में कमी योजना की देनदारी बढ़ा सकती है।

(घ) मृत्यु और विकलांगता– मूल्यांकन में पूर्वानुमान लगाए गए से कम या ज्यादा मृत्यु या विकलांगता के मामले होने पर देनदारियों पर प्रभाव पड़ सकता है।

(ड़) आहरण– वास्तविक आहरण, अनुमानित आहरण से कम या ज्यादा होने पर या बाद के मूल्यांकन के आहरण दर में परिवर्तन होने पर योजना की देनदारी पर प्रभाव पड़ सकता है।

सारणी – 2 दायित्वों के वर्तमान मूल्य (पीवीओ) में परिवर्तन

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण	अस्वस्थता अवकाश	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्ष के आरंभ में पीवीओ	17,893 {17,486}	4,304 {2,771}	9,883 {8,881}	7,002 {6,270}	1,243 {892}
ब्याज लागत	1,387 {1,329}	333 {210}	766 {675}	543 {477}	96 {68}
पिछली सेवा की लागत					
वर्तमान सेवा लागत	581 {606}	1,278 {1,236}	451 {427}	236 {217}	118 {448}
लाभ का भुगतान	(1,635) {(1,516)}	1,469 {(1,052)}	(278) {(277)}	(285) {(347)}	(151) {(135)}
बीमांकिक (लाभ) / हानि	874 {(12)}	1160 {1,138}	83 {178}	276 {385}	44 {29}
वर्ष के अंत में पी वी ओ	19,101 {17,893}	5,607 {4,304}	10,906 {9,883}	7,985 {7,002}	1,263 {1,243}

सारणी–3 तुलन–पत्र में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य असबाव भत्ता / सेवानिवृत्ति अवार्ड / एफबीएस
वर्ष के अंत में पीवीओ	19,101 {17,893}	5,607 {4,304}	10,906 {9,883}	7,985 {7,002}	1,263 {1,243}
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	7402	लागू नहीं
वित्त पोषित देयता / प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य	{3320}	शून्य
गैर वित्त पोषित देयता / प्रावधान	19,101 {17,893}	5,607 {4,304}	10,906 {9,883}	583 {3,682}	1,263 {1,243}
चिन्हित न हुए बीमांकिक लाभ / हानि					
तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता	19,101 {17,893}	5,607 {4,304}	10,906 {9,883}	583 {3,682}	1,263 {1,243}

सारणी– 4 लाभ और हानि, ओसीआई / ईडीसी खाते में अभिस्वीकृत राशि

(रूपए लाख में)

(नकारात्मक शेष के आंकडे कोष्ठक में दर्शाए गए हैं)

विवरण	उपदान	छुट्टी का नकदीकरण (ईएल)	अस्वस्थता अवकाश (एचपीएल)	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)	अन्य असबाब भत्ता / सेवानिवृत्ति एवार्ड / एफबीएस
वर्तमान सेवा लागत	581 {606}	1278 {1,236}	451 {427}	236 {217}	118 {448}
सेवा उपरांत लागत					
ब्याज लागत	1387 {1,329}	333 {210}	766 {675}	543 {477}	96 {68}
ओसीआई में वर्ष के लिए मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	874 {(12)}	1,160 {1,138}	83 {178}	276 {385}	44 {29}
वर्ष के लिए लाभ और हानि / ईडीसी में मान्यता प्राप्त व्यय विवरण	1,968 {1,935}	2,771 {2,585}	1,300 {(1,279)}	307 {694}	214 {517}

सारणी –5 संवेदनशीलता विश्लेषण

(राशि लाख ₹ में)

निम्नलिखित के कारण प्रभाव	उपदान		अर्जित अवकाश (ईएल)		अस्वस्थता अवकाश एचपीएल)		पीआरएमवी		अन्य	
	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19	31.03.20	31.03.19
छूट दर										
0.50% की वृद्धि	(542)	(531)	(182)	(151)	(323)	(315)	(930)	(826)	(35)	(34)
0.50% की कमी	571	559	193	161	340	332	946	877	36	34
वेतन दर										
0.50% की वृद्धि	146	132	193	160	339	315	लागू नही	लागू नही	18	17
0.50% की कमी	(156)	(144)	(183)	(151)	(333)	(332)	लागू नही	लागू नही	(17)	(17)
चिकित्सा लागत/ समाधान लागत दर										
0.50% की वृद्धि	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	949	906	लागू नही	लागू नही
0.50% की कमी	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	(933)	(847)	लागू नही	लागू नही

अन्य प्रकटन

(राशि लाख ₹ में)

उपदान	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	19,101	17,893	17,486	17,003	14,637
बीमांकिक (लाभ/हानि)					
बीमांकिक (लाभ/हानि) ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	874	(12)	(785)	(137)	(205)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,968	1,935	1,959	3,076	1,597

अर्जित छुट्टी (ईएल)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	5,607	4,304	27,712	5,398	3,714
बीमांकिक (लाभ/हानि)	1,160	1,138	452	1,668	835
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	2,771	2,585	1,003	2,263	1,521

अर्द्धवेतन (एचपीएल) छुट्टी	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	10,906	9,883	8,881	12,388	10,330
बीमांकिक (लाभ/हानि)	83	178	(4,616)	861	(1)
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	1,300	1,279	(3,284)	2,234	1,242

सेवा के उपरांत चिकित्सीय लाभ (पीआरएमबी)	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	7,985	7,002	6,270	5,639	4,598
बीमांकिक (लाभ/हानि)	276	385	122	643	616
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	276	385	122	643	616
बीमांकिक (लाभ/हानि)	307	694	644	525	1,047
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय					

अन्य असबाब भत्ता/सेवानिवृत्ति अवार्ड/एफबीएस	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017	31.03.2016
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,263	1,243	892	862	805
बीमांकिक (लाभ/हानि)	44	(29)	(28)	38	12
ओसीआई के विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त	44	(29)	(28)	38	12
वर्ष के लिए लाभ एवं हानि/ईडीसी के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	214	516	138	112	149

18. क) कंपनी में बैंकों और अन्य पक्षकारों से शेष राशियों के बारे में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली मौजूद है। बैंक खातों के संबंध में पुष्टि न किए गए शेष तथा बैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से उधारियां नहीं हैं। ऊर्जा की बिक्री से प्राप्य के संबंध में कंपनी लाभग्राहियों को मांग संबंधी सूचना भेजती है जिसमें भुगतान की गई राशि और बकाया शेष का ब्यौरा दिया गया है जिसे ऐसे लाभग्राहियों से बाद में भुगतान प्राप्त होने पर स्वतः पुष्ट मान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभग्राहियों और अन्य ग्राहकों के साथ समाधान आमतौर पर 31 दिसम्बर को किया जाता है। जहां तक व्यापार/अन्य प्राप्य और ऋण तथा अग्रिम का संबंध है, नकारात्मक आग्रह सहित शेष संबंधी पुष्टि पक्षकारों को भेजे गए थे जैसा कि लेखाकरण (एसए) 505 (संशोधित) बाह्य पुष्टि में संदर्भ दिया गया है। इनमें से कुछ शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो तो उसकी पुष्टि/समाधान होने पर हिसाब में लिया जाएगा जिसका प्रबंधन वर्ग की दृष्टि में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा।

ख) प्रबंधन वर्ग की राय के संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर और गैर चालू निवेशों को छोड़कर परिसंपत्तियों का मूल्य, सामान्य व्यापार के क्रम में वसूली की जाने पर उस मूल्य से कम नहीं होगा जो तुलन पत्र में दर्शाया गया है।

19. लेखा परीक्षकों को भुगतान (सेवा कर सहित)

(राशि लाख ₹ में)

		2019-20	2018-19
I.	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	13*	10*
II.	कराधान मामलों के लिए (कर लेखा परीक्षा)	2	2
III.	कंपनी के कानूनी मामलों के लिए	------	------
IV.	प्रबंधन सेवाओं के लिए	------	------
V.	अन्य सेवाओं के लिए (प्रमाणन)	10	4
VI.	व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	3	2

*वार्षिक आम सभा की बैठक में अनुमोदन के अधीन

20. क) नकदी प्रवाह विवरण और तुलन पत्र के बीच नकद एवं नकद प्रवाह का मिलान निम्नानुसार है:

(राशि लाख ₹ में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2020	31.03.2019
नकदी तथा नकदी समतुल्य	11	2,520	4,577
जोड़ें : लियन के तहत बैंक शेष	12	58	676
घटायें : ओवर ड्राफ्ट शेष	25	1,11,506	1,21,840
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		-1,08,928	-1,16,587

ख) मार्च, 2017 में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक संशोधन) नियम, 2017 जारी किया जिसमें इंड एएस 7 "नकद प्रवाह विवरण" में संशोधन अधिसूचित किए गए थे। ये संशोधन अन्तर्राष्ट्रीय लेखाकरण मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा आईएएस 7 'नकद प्रवाह विवरण' में हाल में किए गए संशोधन के अनुरूप हैं।

ये संशोधन 01 अप्रैल, 2017 से कंपनी पर लागू होंगे और वे अतिरिक्त प्रकटन का आरंभ करते है जिनसे वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता नकद प्रवाह और गैर नकद परिवर्तन दोनों प्रकार की वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकेंगे और इसमें प्रकटन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं के तुलन– पत्र में आदि और अंत शेष के बीच समायोजन को शामिल करने के बारे में सुझाव होगा।

(राशि लाख ₹ में)

वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह 2019–20	आदि	चालू वर्ष	अंत	परिवर्तन	अभ्युक्ति
जारी की गई शेयर पूँजी (लंबित आबंटन सहित)	3,65,888		3,66,588	700	प्राप्त इक्विटी
दीर्घकालिक उधारियाँ (बॉंड तथा अन्य प्रतिभूत ऋण)	3,19,639		4,55,774	1,36,135	आहरित ऋण जिसमें विनियम दर रु. 185780 लाख ऋण चुकौती रु. 51213 लाख और निवल परिवर्तन 134537 लाख रु. पट्टे (निवल 1588 लाख रू.)
ऋणों पर ब्याज भुगतान की गई वित्तीय लागत पूँजीकृत कम करें – सीडब्ल्यूआईपी		47,163 (23,129)		(24,034)	लाभ और हानि में प्रभारित
भुगतान किया गया लाभांश और भुगतान वितरण कर		(15,190)		(15,190)	लाभांश को भुगतान किया गया
धन उपलब्ध करवाने (फाइनेंसिंग) से निवल नकद प्रवाह				97,611	

21. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं आवश्यक समझा गया है पुनः समूहबद्ध/वर्गीकृत किया गया है ताकि आंकड़ों को चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलनयी बनाया जा सके।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

(रश्मि शर्मा)	**(जे. बेहरा)**	**(डी.वी. सिंह)**
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)/सीएफओ	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्यता सं. 26692	डीआईएन:08536589	डीआईएनः 03107819

हमारी सम दिनांक की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.एन. कपूर ऐंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

दिनांक :- 24.06.2020
स्थान :- लखनऊ

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में
सदस्यगण
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

राय

हमने 31 मार्च, 2020 तक की स्थिति के अनुसार टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों तथा उसके साथ समाविष्ट उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि (अन्य व्यापक आय सहित) विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियो के सार और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं की लेखा परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में यथापेक्षित रीति से अपेक्षित जानकारी यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (इंड एएस) के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्वांतो के अनुरूप, दिनांक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के कार्यो की स्थिति, इसके लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित) और उस तारीख को समाप्त हो रही अवधि के लिए साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन और इसके नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) के बारे में सत्य एवं स्पष्ट तथ्य प्रकट करते हैं।

राय का आधार

हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी का विस्तृत विवरण हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी खंड'' में की गई है। हम, भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिक संहिता के साथ साथ नैतिक अपेक्षाओं के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानो के तहत हमारे द्वारा की गई वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए संगत है और हमने, इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले

लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले, वे मामले हैं जो हमारी व्यावसायिक राय के अनुसार चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उन पर हमारी समग्र राय बनाने के संदर्भ में इन मामलों पर पूरा ध्यान दिया गया और इन मामलों पर हमारी अलग से कोई राय नही है। नीचे दिए गए प्रत्येक मामले के लिए किस प्रकार हमारी लेखा परीक्षा में मामले पर विचार किया गया, इसे उस सन्दर्भ में दिया गया है। हमने नीचे दिए गए मामले को लेखा परीक्षा सम्बंधित महत्त्वपूर्ण मामला माना है जिसे हमारी रिपोर्ट में संसूचित किया जाएगा।

क्र. सं.	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामला	लेखा परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण मामले के समाधान के लिए परीक्षक का दृष्टिकोण
1.	**ऊर्जा की बिक्री के लिए राजस्व को मान्यता देना तथा उसका मापन** कंपनी, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों पर इंड एएस 115 के अंतर्गत उल्लेखित सिद्धांतों के आधार पर बिक्री से प्राप्त राजस्व को रिकार्ड करती है। तथापि जिन मामलों में जहाँ प्रशुल्क दर तय की जानी है, वहाँ लागू सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों को लागू कर अनंतिम दरें अपनाई जाती हैं।	हमने, ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, जिसमें क्षमता और ऊर्जा प्रभाव शामिल होते है, की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के लिए संबंध में सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों, आदेशों, परिसम्पत्तियों, दिशानिर्देशों और प्रकियाओं को प्राप्त किया है तथा निम्नलिखित लेखा परीक्षा के संबंध में प्रक्रियायें अपनाई है:–

	सीईआरसी प्रशुल्क विनियमों के अनुसार लगाए गए अनुमानों की प्रकृति और सीमा के कारण इसे लेखापरीक्षा से जुडा महत्वपूर्ण मामला माना जाता है जिससे ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व, को जटिल और निर्णयाधीन होता है, की मान्यता तथा मापन किया जाता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 15 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 31 देखें)	–ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को मान्यता देने और उसका मापन करने के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के लिए कंपनी की डिजाइन की प्राथमिकता का मूल्यांकन किया है और जांच की है। –सीईआरसी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दरों के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व के लेखाकरण का सत्यापन किया है। –उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व की मान्यता और मापन पर्याप्त और तर्कसंगत माने जाते हैं।
2	**आकस्मिक देयताएँ** कंपनी के विरूद्ध अनेक मंचों पर विभिन्न रूपों में अनेक मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटन के लिए कंपनी द्वारा निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। हमने इसकी पहचान लेखा परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मामले के रूप में की है क्योंकि जिन अनुमानों पर ये धनराशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करना काफी हद तक प्रबंधन निर्णय शामिल होता है और इस मामले में प्रबंधन पूर्वाग्रहयुक्त हो सकता है। (महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सं. 14 के साथ पठित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें)	हमने आकस्मिक देयताओं के अनुमान और प्रकटन के संबंध में कंपनी के आतंरिक अनुदेशों, क्रियाओं की समझ प्राप्त की है और लेखा परीक्षा संबंधी निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं –लंबित मुकदमों के लिए सभी संगत सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कारगरता को समझा और परीक्षण किया है। –प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण नई बातों पर और विधिक मामलों की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की है। –विधि मामलों के संबंध में विभिन्न पत्राचारों और संबंधित दस्तावेज़ों तथा प्रबंधन द्वारा प्राप्त संगत बाहरी विधिक राय को पढ़ा है तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन का समर्थन करने वाली मूल प्रक्रियाओं और परिकलनों को निष्पादित किया है। –प्रबंधन के निर्णय तथा आंकलन की जांच की है कि क्या प्रावधान आवश्यक है। –जिन मामलों का प्रकटन नही किया गया है उनके बारे में प्रबंधन के आंकलनों पर विचार किया है क्योंकि महत्वपूर्ण प्रवाह की संभावना काफी दूर समझी गई है। –प्रकटनों की पर्याप्तता और पूर्णता पर विचार किया है। उपरोक्त की गई प्रक्रियाओं के आधार पर आकस्मिक देयताओं के संबंध में अनुमान और प्रकटन पर्याप्त और तर्कसंगत माना गया है।

मामले पर बल

हम स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी के संबंध में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं –

(क) कंपनी के नियंत्रण के बाहर के कारकों से वीपीएचईपी और टिहरी पीएसपी परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब से संबंधित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 का पैरा(i) और (ii)। इसके अतिरिक्त मेसर्स एचएसीसी के घोर वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय विनियमन सहित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए ठेकेदार के लिए गैप फंडिंग प्रबंध को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित 991.42 हेक्टेयर भूमि के संबंध में टिप्पणी संख्या 41 का पैरा 5(i) का टीएचडीसीआईएल द्वारा उपयोग परियोजना कार्यो के लिए किया जा रहा है।

(ग) कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के प्रबंधन मूल्यांकन के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 40.1 (ii) टिप्पणी 40.3 और टिप्पणी 41.8।

(घ) दिनांक 25.03.2020 को भारत सरकार और एनटीपीसी लिमिटेड के बीच निष्पादित शेयर खरीद करार के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 41.8 (ii)। भारत सरकार की साम्या की रणनीतिक बिक्री मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को करने के लिए सीसीईए का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। तदनुसार, भारत सरकार की कुल इक्विटी दिनांक 27.03.2020 को मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई है। इसको ध्यान में रखते हुए टीएचडीसीआईएल मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी बन गई है। इसके अतिरिक्त, टीएचडीसीआईएल को भारत सरकार के साथ इक्विटी निषेचन(इनफ्यूजन) के रूप में 26.3.2020 को 1400 लाख रू. की राशि प्राप्त हुई है। तथापि, उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसे भारत सरकार को संदर्भित किया गया है और भारत सरकार द्वारा इस प्रकार प्राप्त राशि चालू देयताओं में दर्शाई गई है। टिप्पणी–27 देखें ।

इन मामलों के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अन्य मामले

क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा किसी दूसरे लेखापरीक्षक द्वारा करवाई गई थी जिसने उन विवरणों के संबंध में 12.09.2019 को असंशोधित राय व्यक्त की।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से इतर अन्य की सूचनाएं

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। अन्य सूचनाओं में कारपोरेट सुशासन रिपोर्ट, अनुलग्नक, प्रबंधन विचार–विमर्श और विश्लेषण, व्यापारिक दायित्व और कंपनी से जुड़ी अन्य जानकारियां सहित निदेशक की रिपोर्ट में निहित सूचनाएं शामिल है। परंतु इसमें स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य सूचनाएँ इस लेखा परीक्षण की तारीख के बाद हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचनाएँ शामिल नहीं हैं और उन पर हम न तो किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष देते हैं और न देंगे।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी उपलब्ध होने पर उपरोक्त चिहिन्त अन्य सूचनाओं को पढना और ऐसा करते समय इस पर विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएँ वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षक में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है या उल्लेखनीय रूप से गलत बयानी है।

जब हम उपरोक्त के अनुसार सूचनाएं देते हैं तो हमारा निष्कर्ष है कि उसमें उल्लेखनीय गलतबयानी है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम उस मामले को उन लोगों को सूचित करें जिन्हें सुशासन का भार सौपा गया है और लागू विधियों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का उल्लेख करें।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन तथा स्टैंडएलोन सुशासन का भार वहन करने वालों की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है जो

कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नगदी प्रवाह को सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन के साथ कंपनी के संगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित एक सही और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड के रख–रखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों का चयन करने और उन्हें लागू करने, उन पर निर्णय करने और उन अनुमानों पर जो कि उचित, व्यावहारिक और परिकल्पित कार्यान्वित और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख–रखाव करने जिससे लेखा रिकार्ड सही व पूर्ण हों, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली प्रचालन, वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित तैयारियां करने तथा जो सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करते हैं, भले ही वे धोखाधड़ी और अशुद्धि के कारण हों, इन्हें तैयार और प्रस्तुतीकरण के लिए संगत डिजाइन, कार्यान्वयन और आंतरिक नियंत्रण का रख–रखाव भी इसमें शामिल है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन कार्यरत कंपनी के रूप में कंपनी के जारी रहने की क्षमता का आँकलन करने, कार्यरत कंपनी से संबंधित मामलों के बारे में यथालागू प्रकरण करने तथा कार्यरत कंपनी के लेखाकरण का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है जब तक प्रबंधक कंपनी को परिसमाप्त न करना चाहता हो या उसका प्रचालन ना रोकना चाहता हो या ऐसा करने के सिवाय उसके पास कोई यथार्थपरक विकल्प न बचे।

कंपनी की वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी निदेशक मंडल जिम्मेदार है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारें में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप में महत्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधडी से अथवा त्रुटि से हो, से रहित है और लेखा परीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्चस्तरीय आश्वासन है किंतु यह गारंटी नही देता कि एसए के अनुसार की गई लेखा परीक्षा में सदैव महत्वपूर्ण गलतबयानी, जब कभी विद्यमान हो, का पता लगाया जाएगा। गलतबयानी किसी धोखाधडी अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि व्यक्तिगत अथवा समग्र तौर पर, उनसे उपयोगकर्ता द्वारा इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए निर्णयों को संगत रूप से प्रभावित करने की संभावना हो।

एसए के अनुसरण में लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर निर्णयों का उपयोग किया है और पेशेवर संशयवाद की अवधारणा को बनाए रखा है। हमने:

- वित्तीय विवरणों में, चाहे धोखाधडी से अथवा त्रुटिवश, महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों का पता लगाते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, ऐसे जोखिमों के लिए अनुक्रियाशील लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करते हैं और उनका निष्पादन करते हैं तथा ऐसे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। किसी धोखाधडी के परिणामस्वरूप हुई गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम, त्रुटिवश की गई किसी गलतबयानी का पता न लगा पाने के जोखिम से अधिक होता है क्योंकि धोखे में सांठगांठ, जालसाजी, इरादतन चूक, गलतबयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण का अधिभावी होना शामिल हो सकता है।
- उस स्थिति में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षा के लिए संगत आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त भी की। कंपनी अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय प्रकट करने के लिए भी जिम्मेदार है कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और ऐसे नियंत्रणों की संचालनात्मक प्रभावकारिता है।
- हम प्रयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लेखा अनुमानों तथा उनसे संबंधित प्रकटनों के औचित्य का मूल्यांकन भी करते हैं।
- प्रबंधन द्वारा प्रयोग में लाए गए प्रगतिशिल संस्था के लेखांकन के आधार और प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, उस घटनाक्रम और स्थिति जो कपनी के एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने के संबंध में एक पर्याप्त संशय उत्पन्न करती है, से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान

हो, उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटनों की ओर ध्यान आकर्षित करना अथवा यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हों तो अपनी राय में आशोधन करना अपेक्षित है। हमारे द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भावी घटनाएं अथवा परिस्थितियां कंपनी को एक प्रगतिशील संस्था के रूप में जारी रहने से बाधित कर सकती है।

- स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु सहित प्रकटनों और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन देन और घटनाओं को उस रीति में प्रस्तुत करते है जो उचित प्रस्तुति प्रस्तुत की जाए, का मूल्यांकन भी करते हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में उस गलतबयानी की मात्रा महत्वपूर्ण होती है जो एकल रूप में या समग्र रूप में वित्तीय विवरणों का तर्कसंगत ज्ञान रखने वाले प्रयोगकर्ता के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने को संभव बनाता है। हम (i) अपने लेखा परीक्षा के विस्तार क्षेत्र की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने तथा (ii) वित्तीय विवरणों में किन्ही चिहिन्त गलतबयानियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक महत्व और गुणात्मक कारकों पर विचार करते है।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, को अन्य मुद्दों के साथ साथ योजनाबद्ध क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों सहित लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में हमारे द्वारा पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के संबंध में सूचना देते हैं।

हम उन्हें, जिन्हें सुशासन का उत्तरदायित्त्व सौंपा गया है, एक विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं और उनसे संपर्क करने के लिए सभी संबंधों और अन्य मामलों जिन्हें संगत रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभावकारी समझा जा सकता है और जहाँ कहीं लागू हो, सम्बंधित सुरक्षोपायों की अनुपालना की है।

सुशासन के लिए जिम्मेदार लोगों को संसूचित किए गए मामलों से हम उन मामलों को तय करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए लेखा परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामले हैं। हम इन मामलों का विवरण अपनी लेखा परीक्षा में देते हैं यदि कानून या विनियम इन मामलों से संबंधित विवरण सार्वजनिक प्रकटन पर रोक न लगाते हों या जब अत्यधिक विरल परिस्थितियों में जब हम अपनी रिपोर्ट में निर्धारित करें कि कोई मामला हमारी रिपोर्ट में इसलिए शामिल न किया जाए क्योंकि इसके दुष्परिणाम से ऐसे संचार का सार्वजनिक हित लाभ कम हो जाएगा।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) में यथापेक्षित, हमने आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों के बारे में लागू सीमा तक एक विवरण **अनुलग्नक "क"** में दिया है।

2. भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक ने निदेश जारी किए हैं जिनमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (5) के अनुसार जांच किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, जिसका **अनुलग्नक "ख"** में दिया गया है।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) में यथापेक्षित, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

   (क) हमने, ऐसी समस्त जानकारी अथवा स्पष्टीकरण की मांग की और प्राप्त की जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थी।

   (ख) हमारी राय में, कानून के अनुसार, उचित लेखाबहियां रखी गई हैं जैसा कि उन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत होता है।

   (ग) इस रिपोर्ट में संबंधित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि विवरण, साम्या (इक्विटी) में परिवर्तन के विवरण और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण खाते की बहियों के अनुरूप हैं

   (घ) हमारी राय, में उक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण, कंपनी यथासंशोधित (भारतीय लेखांकन मानक एंड एस) नियमावली, 2015 की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार है।

(ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 05.06.2015 को जारी की गई अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 463 (ड) के अनुसरण में, निदेशकों की निर्हरता संबंधी अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते हैं।

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालनात्मक प्रभावकारिता के संबंध में कृपया **अनुलग्नक "ग"** पर हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें और

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41.2 देखें।

ii. कंपनी का डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई ऐसा दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके सम्बन्ध में किसी वास्तविक हानि का पूर्वानुमान था ।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 24.06.2020
यूडीआईएनः 20014335एएएएडीएम3666

अनुलग्नक "क"

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

("अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाएं" शीर्षक के अन्तर्गत इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक "क")

हम रिपोर्ट करते हैं कि–

i. (क) कंपनी ने सामान्य रूप से संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की मात्रा, विवरण और स्थिति सहित पूरे विवरण दर्शाते हुए संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का समुचित रिकार्ड रखा है। परिसम्पत्तियों के संचालन के लिए रिकार्ड ठीक प्रकार से रखे गए हैं।

(ख) वर्ष के दौरान सम्पत्तियों, संयंत्र और उपस्करों की वास्तविक जांच सनदी लेखाकारो की स्वतंत्र फर्म द्वारा की गई है तथा सत्यापन के दौरान कोई विसंगति, जो भले ही बड़ी न हो, का लेखा – बही में उपयुक्त रूप से निपटान किया है। हमारी राय में कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सत्यापन की बारंबारता उचित है। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पादन सयंत्र और मशीनरी का वास्तविक सत्यापन, उनकी अचल प्रकृति (टिहरी/कोटेश्वर/पाटन/देवभूमि दुकवां) के कारण नहीं किया जाता है।

(ग) हमें प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेख की जांच के आधार पर स्पष्ट होता है कि कंपनी की फ्री होल्ड तथा लीज आधार पर जमीन कंपनी के नए नाम टीएचडीसी इंडिया लि. से पहले टिहरी बांध परियोजना अथवा टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. के नाम पर प्राप्त की गई। विभिन्न परियोजनाओं के लिए कंपनी द्वारा अधिग्रहित कुल 3135.26 हेक्टेयर (गत वर्ष 3033.79 हेक्टेयर) में से 2143.84 हेक्टेयर के लिए पुराने नाम से नए नाम में स्वामित्व परिवर्तित कर दिया गया है। टिप्पणी सं.41.5(i) से विदित होता है कि शेष 991.42 हेक्टे. और भूमि के स्वामित्व परिवर्तन संबंधी प्रक्रिया जारी है। टिप्पणी 41.5(ii) से विदित होता है कि 44.429 हेक्टे. की सिविल सोयम भूमि के लिए लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है और टिप्पणी 41.5(iii) से विदित होता है कि 0.757 हैक्टे. फ्री–होल्ड भूमि एवं स्वामित्व हस्तांतरण और लीज डीड का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1128.41 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर ऊपर संदर्भित भूमि का मूल्य अभी अभिनिश्चित किया जाना है।

ii. वर्ष के दौरान प्रबंधन वर्ग ने माल सूचियों का भौतिक सत्यापन उचित अंतराल पर किया है और भौतिक सत्यापन के दौरान कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई।

iii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कंपनी ने कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण नहीं दिया है। तदनुसार आदेश के पैराग्राफ –3 का खंड–(iii) (क) (ख) और (ग) लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में तथा हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के ऋण, निवेश, गारंटी तथा प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–185 एवं 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से जमा राशियां स्वीकार नहीं की है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा– 73 से 76 तक तथा उसमे निहित अन्य संगत प्रावधानों और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुपालन का प्रश्न नहीं उठता।

vi. केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा

148(1) के अंतर्गत लागत रिकार्डो का रख–रखाव निर्धारित किया है। कंपनी आवशयक लागत रिकार्ड बनाए रखती है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा परीक्षा प्रकियाधीन है।

vii. (क) हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अविवादित संवैधानिक देय राशियां उचित प्रधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा करती है। इनमें भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, सम्पत्ति कर, सेवा कर तथा अन्य संवैधानिक देय, जो कंपनी पर लागू हैं, शामिल हैं। देय तिथि से छह महीने से अधिक अवधि के लिए कोई अविवादित संवैधानिक देय राशि 31 मार्च, 2020 को बाकी नहीं थी। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर विवादित बिक्री कर, आयकर, सीमा शुल्क, सम्पत्ति कर, उत्पादन शुल्क, सेवा कर और उप कर, यदि कोई हो, का ब्यौरा 31 मार्च, 2020 के अनुसार निम्नानुसार हैं:–

संविधि का नाम	ड्यूटी की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	जिस वित्त वर्ष से संबंधित हैं	विरोध सहित जमा (₹ लाख में)	मंच जहां मामला लंबित हैं
विद्युत उत्पादन अधिनियम, 2012 पर उत्तराखंड जल कर	जल उपकर	47,686	2015-16 से 2019-20	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014	हरित ऊर्जा उपकर	16,125	2015-16 से 2019-20	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम,1996	कामगार उपकर	651.44	2004-05 से 2014-15	शून्य	उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल
आयकर अधिनियम, 1961	धारा 234 बीसी के अंतर्गत छूट	172.11	2006-07	172.11	एसीआईटी, देहरादून

viii. हमारे द्वारा अपनायी गई लेखापरीक्षा पद्धति तथा अभिलेखों के अनुसार तथा प्रदत्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था, बैंक को ऋण अथवा उधार पर ली गई राशियों को लौटाने में कोई चूक नहीं की। तथापि, कंपनी ने मध्यावधि ऋण और अल्पकालिक ऋण के लिए प्रेषण पंजाब नेशनल बैंक से ऋण स्थगन सुविधा और भारतीय स्टेट बैंक से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है जो 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या आरबीआई 2019/186डीओआर सं. बीपीबीसी/21.04.048/2019–20 के अनुसार है।

ix. कंपनी प्रबंधन द्वारा दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान आवधिक ऋण के माध्यम से इक्विटी, पहले से किए जा चुके व्यय को पूरा करने, निर्माणाधीन चल रही परियोजनाओं की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट आधार पर अर्थात कारपोरेट बांड (श्रृंखला–2) इक्विटी ऋण लिखित के माध्यम से जुटाए गए धन का वर्ष के दौरान उसी काम के लिए उनका इस्तेमाल किया।

x. भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा पद्धति के अनुसार वर्ष के लिए कंपनी की खाता बहियों और अभिलेखों का परीक्षण करने के दौरान हमें या कंपनी द्वारा अथवा इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा जालसाजी का कोई मामला नहीं मिला है और न ही प्रबंधन को इस तरह के मामले की कोई सूचना अथवा रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

xi. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 ई दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार प्रदत्त छूट तथा धारा 197 सह–पठित अधिनियम की अनुसूची–V प्रबंधन पारिश्रमिक संबंधी प्रावधान कंपनी

पर लागू नहीं है।

xii. हमारी राय में कंपनी, निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड 3(XII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

xiii. हमारी राय तथा हमें दी गयी सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार संगत पार्टियों के सभी लेन देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 के अनुरूप हैं तथा ऐसी लेन–देनों के विवरणों का यथा–अपेक्षित मान्य लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में खुलासा किया गया है।

xiv. प्रबंधन द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण, लेखापरीक्षा प्रक्रिया निष्पादन के अनुसार कंपनी ने शेयरों का कोई अधिमानी अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट अथवा पूर्ण अथवा आंशिक परिवतनीय डिबेंचरों का आबंटन समीक्षागत वर्ष के दौरान नहीं किया। अतएव आदेश के खंड 3(XIV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नही होते।

xv. हमारी राय और कंपनी द्वारा प्रदत्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेन–देन नही किया। अतएव आदेश के खंड–3 (XV) प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते।

xvi. हमारी राय में कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है और तदनुसार कंपनी पर आदेश खंड (XVI) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आई सीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 24.06.2020

अनुलग्नक ''ख''

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का भाग

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देश

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुलग्नक–ख)

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी में लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से प्रौसेस करने का सिस्टम मौजूद है। यदि हाँ, तो लेखांकन संबंधी लेन–देन सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से न करने पर लेखाओं की निष्ठा के साथ साथ वित्तीय विवरणों पर पडने वाले प्रभावों, यदि कोई हो, के बारे में बताएं।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर लेखांकन संबंधी सभी लेन–देन कंपनी द्वारा कार्यान्वित एफएमएस प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं।
2.	क्या किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का कोई मामला प्रकाश में आया है जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए।	हमारे सत्यापन और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर किसी मौजूद ऋण के पुनर्गठन या ऋण ब्याज को बट्टे खाते डालने का मामले नहीं था जिसे किसी देनदार ने कंपनी को दिया था और जिसे कंपनी चुका नहीं सकी थी। तथापि, 27 मार्च, 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं.आरबीआईडीओआर सं. बीपीबीसी/21.04.048/2019/20 के संबंध में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 41 के पैरा 8(i) द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों को सभी किश्तों और उन पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान पर 01 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक तीन माह के लिए ऋण स्थगन प्रदान करने की अनुमति दी है। टीएचडीसी इंडिया लि. ने पीएनबी से मध्यावधि ऋण और अल्पावधि ऋण के लिए उपरोक्त ऋण स्थगन सुविधा प्राप्त की है तथा एसबीआई से कार्यशील पूंजी सीमा प्राप्त की है। तदनुसार, किश्तों के लिए देय 3500 लाख रू. और ब्याज के लिए देय 506 लाख रू. चालू वित्तीय देयताओं अन्य में दर्शाया है जैसाकि टिप्पणी संख्या 26 से विदित होता है।

क्र.सं.	निर्देश	उत्तर
3.	क्या विशिष्ट स्कीमों के लिए केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य निधियों का हिसाब किताब इसकी शर्तों के अनुसार रखा गया /उपयोग किया गया।	की गई लेखा परीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और विवरणों के आधार पर केंद्र सरकार से विशिष्ट स्कीमों (परियोजनाओं) के लिए प्राप्त की गई निधियों (इक्विटी) का हिसाब किताब भली–भांति रखा गया तथा संबंधित शर्तों के अनुसार प्रयोग किया गया।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 24.06.2020

अनुलग्नक "ग"

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए

(इस तिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 3(एफ) में "अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाएं" संबंधी रिपोर्ट में संदर्भित अनुलग्नक "ग")

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने **टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (कंपनी)** की 31 मार्च, 2020 की वित्तीय रिपोर्ट की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के साथ वित्तीय विवरणों की इसी तारीख को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी प्रबंधन अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय लेखांकन मानदंडों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और उसके रख– रखाव के लिए जिम्मेदार है। इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट आफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आंतरिक वित्तीय लेखांकन की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शी नोट में आंतरिक नियंत्रण का उल्लेख है। इन जिम्मेदारियों में डिजाइन, कार्यान्वयन तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं जिसमें कार्य के सटीक एवं दक्षतापूर्ण संचालन सुनिश्चित करना शामिल हैं। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी की नीतियों, परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और गलतियों का पता लगाने,लेखांकन अभिलेखों की पूर्णता तथा वित्तीय सूचनाओं की नियत समय पर तैयारी शामिल है ।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय लेखांकन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना है। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में निर्धारित तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण विवरण (द गाइडेंस नोट) पर लागू हैं और ये दोनों ही 'आईसीएआई' द्वारा जारी हैं। इस मानक और मार्गदर्शी नोट की अपेक्षा है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं तथा योजना का पालन करें और लेखा परीक्षा कर यह औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय लेखांकन पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा गया तथा यह नियंत्रण सभी दशाओं में सभी प्रभावी रूप से लागू किया गया।

हमारी लेखा परीक्षा में निष्पादन प्रक्रिया लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, वित्तीय लेखांकन और उसके प्रचालनीय प्रभाव पर आधारित है। हमारे वित्तीय लेखांकन पर आतंरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा वित्तीय लेखांकन का जोखिम मूल्यांकन, का वास्तविक जोखिम निर्धारण है तथा परीक्षण और डिजाइन तथा आंतरिक नियंत्रण में जोखिम अनुमान के संचालनीय प्रभाव पर आधारित है। चयनित प्रक्रियाएँ वित्तीय विवरणों की समग्र गलत बयानी, चाहे धोखाधड़ी या अशुद्धि के कारण हो, के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के अनुमान पर निर्भर करती है।

हमारा विश्वास है कि हमारे वित्तीय विवरणों पर प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी के वित्तीय लेखांकन की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा पर राय को आधार देने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का तात्पर्य

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय रिपोर्टिंग का विश्वसनीय तथा वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए औचित्यपूर्ण आश्वासन देती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (1) कंपनी की परिसम्पत्तियों के अभिलेख के रखरखाव तथा औचित्यपूर्ण विवरण के साथ सही और संव्यवहार तथा निपटान को प्रदर्शित करें (2) उचित आश्वासन दिया जाए कि स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने हेतु लेन देन को अभिलिखित करना सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार अनिवार्य है तथा कंपनी के प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकार से आय व्यय विवरण तैयार किया गया है तथा (iii) कंपनी की

परिसंपत्तियों का अनधिकृत उपयोग, निपटान, अधिग्रहण, जिनका स्टैंडएलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रभाव पड़ सकता है उसकी रोकथाम अथवा यथा समय पता लगाना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग जिसमें धोखाधड़ी अथवा अनुचित प्रबंधन के अधिभावी नियंत्रण की संभावना सहित गलत विवरण, त्रुटि अथवा जालसाजी भी हो सकती है, की अन्तर्निहित सीमा के कारण, पता नहीं लगाया जा सके। वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की भावी अवधि हेतु कोई भी मूल्यांकन जोखिम भरा हो सकता है, स्थितियों में परिवर्तन के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग अपर्याप्त हो सकती है। नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन स्थिति में गिरावट आ सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में वित्तीय लेखांकन पर सभी प्रकार की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय लेखांकन यह आंतरिक वित्तीय प्रणाली 31 मार्च, 2020 को प्रभावी तरीके से प्रचालनीय है। कंपनी द्वारा स्थापित आंतरिक नियंत्रण रिपोर्टिंग मानदंड आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए आईसीएआई द्वारा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखा परीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शी नोट पर आधारित है।

प्रबंधन वर्ग द्वारा कंपनी के निष्पादन पर कोविड–19 के प्रभाव के मूल्यांकन के संबंध में स्टेंडएलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40.1 (ii) टिप्पणी 40.3 और टिप्पणी 41.8 (i) की ओर संदर्भ आमंत्रित किया जाता है और उसका उल्लेख स्वतंत्र निदेशकों की रिपोर्ट के मामले पर बस पैराग्राफ में किया गया है।

इस मामले के बारे में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कृते **एस.एन. कपूर एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म आईसीएआई पंजीकरण सं.001545सी

(सीए एस.एन. कपूर)
साझेदार
एम नं.014335

स्थानः लखनऊ
दिनांकः 24.06.2020

गोपनीय

सत्यमेव जयते

संख्याः **DGA (Energy)/Rep/Acs/THDC/2020-21/131**

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
कार्यालय
महानिदेशक लेखा (ऊर्जा)

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिनांक / Dated: 20.08.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध–निदेशक,
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड,
लखनऊ

विषयः 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

महोदय,

मैं टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,
ह./–
(डी.के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110002
6th & 7th Floor, Annexe Building, 10 Bahadur shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक की अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर विचार व्यक्त करने की जिम्मेदारी है। यह कार्य उन्होंने अपनी दिनांक 24 जून, 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के तहत किया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143 (6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यशील प्रपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ लेखाकरण रिकार्डों के चयनात्मक जांच पड़ताल तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गयी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात मेरी जानकारी में नहीं आयी है जिसमें अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिपण्णी करने या उसमें वृद्धि करने की स्थिति आएगी।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

ह./–
(डी.के. शेखर)
महानिदेशक लेखा (ऊर्जा)
दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 अगस्त, 2020

नोट

CERTIFICATE
OF AWARDS
Silver Award In
Main Stream CSR Health Projects (PSU)
Category to
THDC India Ltd.
4th
CSR
HEALTH
IMPACT
AWARDS
COVID-19 EDITION
21st & 22nd Aug 2020

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
THDC INDIA LIMITED

Schedule- A Mini Ratna PSU
CIN : U45203UR1988GOI009822
कारपोरेट कार्यालयः गंगा भवन, प्रगतिपुरम, बाई–पास रोड, ऋषिकेश – 249201
Corporate Office: Ganga Bhawan, Pragatipuram, Bye-Pass Road, Rishikesh - 249201
वेबसाइट / Website : www.thdc.co.in

Designed & Printed by CURRENT